The question was proposed and the motion was adapted.

श्री ओउम् प्रकाश त्यागी: श्रीमन्, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

MR. CHAIRMAN: Shri Anand Narain Mulla. He is not here

[Mr. Deputy Chairman in the Chair]

THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1972

(To Amend Article 348)

श्री ओउम् प्रकाश त्यागी (उत्तर प्रदेश): श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय, आज जो बिल मैं पेश कर रहा हूं, संविधान में संशोधन करने का विधेयिक, मैं समझता हूं यह संविधान की भावना और इच्छा और भारत सरकार की नीति के अनुकूल है ···

[Mr. Chairman in the Chair]

···और चूंकि मैं विरोध पक्ष की ओर से इस विधेयक को उपस्थित कर रहा हूं मैं आशा करता हूं इस प्रकाश में सरकार मेरे विधेयक को नहीं देखेगी विशेष कर मंत्री महोदय नहीं देखेंगे। इस विधेयक पर आप इस दृष्टि से विचार करेंगे ····· कि हमारे संविधान और भारत सरकार की नीति के अनुकूल है, तो इस प्रकार का विधेयक पारित होना चाहिये। इस तरह का विधेयक तो सरकार की ओर से आना चाहिये था, लेकिन आपका ध्यान इस ओर नहीं गया है और इसी कारण मैंने आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है। मुझे आशा है कि आप इस पर विरोधी भावना से विचार नहीं करेंगे बल्कि हिन्दी को प्रोत्साहन देने की भावना से इस पर विचार करेंगे।

इस विधेयक द्वारा संविधान में जो आर्टिकल 348 है उसमें मैं यह शब्द जोड़ना चाहता हूं :

"or in the official language of the Union, namely, Hindi in Devanagari script".

श्रीमन्, मैं संविधान की धारा 348 में यह चीज बढ़ाना चाहता हूं और धारा 343 में यह चीज स्वीकार की गई है :

"The official language of the Union shall be Hindi in Devanagari script."

धारा 348 में आपने यह बात मानी है :

"(1) Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Part, until Parliament by law otherwise provides—

(a) all proceedings in the Supreme Court and in every High Court,

(b) the authoritative texts—

(i) of all Bills to be introduced or amendments thereto to be moved in either House of Parliament or in the House or either House of the Legislature of a State,

(ii) of all Acts passed by Parliament or the Legislature of a State and of all Ordinances promulgated by the President or the Governor of a State, and

(iii) of all orders, rules, regulations and bye-laws issued under this Constitution or under any law made by Parliament or the Legislature of a State, shall be in the English language".

आपने इसमें यहां पर यह लिखा है कि केवल अंग्रेजी भाषा में ही उपरोक्त कार्य होगा। मैंने अपने इस विधेयक द्वारा यह ध्यान दिलाया है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसिडिंग होगी वह अंग्रेजी के अलावा हिन्दी में भी होगी। जैसा कि आर्टिकल 343 में यह बात स्वीकार की गई है कि इस देश की राज भाषा हिन्दी होगी देवनागरी लिपि में। उस समय संविधान बनाने वालों ने यह बात ध्यान में रखी थी कि अगर हम हिन्दी को भी सुप्रीम कोर्ट की भाषा मान लेते हैं तो इससे अहिन्दी भाषी राज्यों को कठिनाई होगी। यही कारण है कि उन्होंने 15 वर्ष

[श्री ओउम् प्रकाश त्यागी]

को अवधि इसलिए रखी थी ताकि इस अवधि तक वहां के लोग हिन्दी भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। इसी बात को ध्यान में रखकर यह 15 वर्ष की अवधि रखी गई थी और यह कहा गया था कि संसद की अनुमति से इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। 15 वर्ष का समय समाप्त हो चुका है। इसके बाद सरकार ने तीन भाषा वाला फार्मूला स्वीकार किया और मैं समझता हूं कि सरकार की नीति भी अब इस प्रकार की बन गई है कि हिन्दी को अंग्रेजी के साथ साथ ही अधिक प्रोत्साहन दिया जाए ताकि हिन्दी-अंग्रेजी प्रत्येक लैवल पर बराबर आ जाए। संविधान का जो अंतिम लक्ष्य है वह यह है कि संघ की राज भाषा हिन्दी ही होगी और अंग्रेजी का स्थान हिन्दी भाषा ही लेगी।

श्रीमन्, मैं इतना ही इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि कोई भी स्वाभिमानी देश इस बात को पसन्द नहीं करेगा कि देश की राज भाषा या राष्ट्र भाषा कोई विदेशी भाषा रहे। और मैं समझता हूं कि इसी भावना का ध्यान करते हुए हमारे विधान निर्माताओं ने इस बात को स्वीकार किया कि हमारे देश की राज भाषा हिन्दी होगी परन्तु दुर्भाग्यवश किन्हीं कारणों से वह बात अभी तक पूरी नहीं हो सकी। लगभग 25-26 वर्ष बीत गए और वह चीज़ अभी तक हो नहीं पाई है। मैं कहता हूं कि अंग्रेजी को तुरन्त हटाना इस विधेयक का लक्ष्य नहीं है। मैं यह बात साफ कर देना चाहता हूं कि मेरा यह तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि इस विधेयक के अनुसार अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी में सब जजमेंट शुरू हो जाएं। मेरा तात्पर्य इतना ही है कि जहां संविधान में लिखा है :

" ---- shall be in the English language".

उसमें इतना ही और जोड़ दिया जाए

". . . or in the official language of of the Union, namely Hindi in Devnagiri script"

'or' शब्द मैंने खासतौर से लगाया है ताकि यह कठिनाई न आ जाए कि मैं अंग्रेजी के स्थान पर तुरन्त ही हिन्दी लाने की बात कर रहा हूं परन्तु संविधान में यह धारा आनी ही चाहिए। इसमें छूट रहेगी कि जजमेंट अंग्रेजी में हो या हिन्दी में हो। संविधान में इसे रखने का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि अगर यह बात आ जाएगी तो देश के स्वभिमान के दृष्टिकोण से उपयुक्त रहेगी। किसी राष्ट्र में देश-भक्ति या स्वाभिमान नहीं है तो मैं समझता हूं कि उसको राष्ट्र की संज्ञा देना उस राष्ट्र के लिए अपमानजनक होगा। तो देशभक्ति और स्वाभिमान की दृष्टि से यह आवश्यक है कि देश की राष्ट्रभाषा को उचित सम्मान मिले। संविधान में हिन्दी को राष्ट्रभाषा तो स्वीकार कर लिया गया है लेकिन जहां उसकी कार्यगत विधियां हैं वहां आपने केवल इंगलिश को रखा हुआ है। मैं समझता हूं कि अगर आप यह वाक्य जोड़ देंगे तो कोई भी जो हमारे संविधान को देखेगा वह समझेगा कि इन्होंने राष्ट्र-भाषा का सम्मान किया है। इससे गुंजाइश रहेगी कि हिन्दी का भी प्रयोग हो सके। अगर आप पग ही नहीं उठाएंगे तो संदेह यह रहेगा कि अंग्रेजी ही देश की राजभाषा और राष्ट्रभाषा रहेगी, हिन्दी को आप लाना नहीं चाहते। मैं समझता हूं कि संविधान में इतना अवश्य जोड़ दिया जाए। यह हमारी नीति और संविधान की भावना के विपरीत नहीं होगी। मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अंग्रेजी का जहां उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में प्रयोग होता है वहां अंग्रेजी के साथ साथ हिन्दी का भी प्रयोग हो और हिन्दी में भी निर्णय हों। मेरा तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं है कि उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषाओं की उपेक्षा करें। मैं चाहता

हूं कि तमाम प्रान्तों के उच्च न्यायालयों में वहां की क्षेत्रीय भाषाओं में निर्णय हों। क्योंकि उनकी अपील सर्वोच्च न्यायालय में होती है तो उचित यही है कि निर्णय क्षेत्रीय भाषाओं में हों और आगे सर्वोच्च न्यायालय में उनका अनुवाद हो अंग्रेजी में और फिर सर्वोच्च न्यायालय में उन पर विचार किया जा सकेगा। परन्तु जब हमने यह निर्णय कर लिया है कि धीरे-धीरे अंग्रेजी को हटाकर हिन्दी को राज-भाषा के रूप में लाना है तो हिन्दी का भी प्रयोग उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में भी हो, परन्तु वर्तमान समय में प्रत्येक न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालयों में अंग्रेजी का ही प्रयोग होता है और किसी भाषा में निर्णय नहीं दिए जा रहे। इस लिए मैं कहना चाहता हूं कि जब अंग्रेजी में निर्णय दिए जा रहे हैं तो फिर अंग्रेजी निर्णयों का हिन्दी अनुवाद भी साथ में आए और वह निर्णय हिन्दी में प्रकाशित हों तो उस से मुकदमा करने वालों को सुविधा होगी। यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है कि कोई भी आदमी जो न्यायालय में जाता है वह पसंद करेगा कि उस की मातृ भाषा में ही उस की शिकायत सुनी जाए और जो एडवोकेट उस की वकालत कर रहा है वह भी उसी की भाषा में उस के मुकदमें की वकालत करे और उस का पक्ष सही तौर पर रखा जा रहा है या नहीं इस को वह इसी तरह से देख समझ सकता है। आज वकील क्या कह रहे हैं यह मुकदमा करने वाला समझ नहीं पाता। जिस का मुकदमा है इस का उसे कोई ज्ञान नहीं होता और जब फैसला हो जाता है तो वह उन कागजों को लिए हुए घूमता है कि इस में क्या लिखा हुआ है। तो यह दयनीय अवस्था आज न्याय की है। न्याय आदमियों को उन की भाषा में, उन की जानकारी में मिलना चाहिए ताकि उसको किसी के सहारे की आवश्यकता न हो। आज जो मुकदमा करता है उस की अवस्था बड़ी दयनीय रहती है। और मैं समझता हूं कि यह एक बड़ा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। तो मैं समझता हूं कि जब तमाम उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी में फैसले होते हैं उन का अनुवाद हिन्दी में भी हो। आप ने राष्ट्र भाषा स्वीकार किया है हिन्दी को। आप अंग्रेजी को भी रखें लेकिन स्थिति इस समय यह है कि जब संविधान बना था उस समय सब की इच्छा यही थी कि राज भाषा हिन्दी होगी और अंग्रेजी उस की सहायक भाषा के रूप में रहेगी। पहले 15 वर्ष के लिए हिन्दी सहायक भाषा के रूप में रहेगी और अंग्रेजी विशेष के रूप में रहेगी और 15 वर्ष बाद हिन्दी अंग्रेजी का स्थान ले लेगी और उस समय के बाद धीरे-धीरे अंग्रेजी को समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन आज स्थिति यह है कि अंग्रेजी महारानी बनी हुई है इस देश में और जो हिन्दी राज भाषा इस देश की है वह दासी के रूप में बनी हुई है और मुझे यह विश्वास नहीं है कि हिन्दी का यह दासीपन छुट सकेगा। मुझे तो डर है कि अंग्रेजी भाषा ही सिर पर चढ़ कर बैठी रहेगी और हिन्दी को संविधान के अनुसार अपना स्थान नहीं मिल सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने इस नीति को, संविधान की भावना को क्रियात्मक रूप तो दिया है और उस के लिए मैं भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 348 का ध्यान करते हुए, 343 में राज भाषा का ध्यान करते हुए अपनी प्रक्रिया को चालू किया है और खास तौर से मैं ओम् मेहता जी को धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए कि उन्होंने जो संसद् की कार्यवाहियां होती हैं वहां उन में अंग्रेजी के साथ साथ हिन्दी को भी चालू करना शुरू कर दिया है और हमारे मंत्रालयों में, सभी मंत्रालयों में हमारे हिन्दी के ट्रांस्लेटर्स बैठे हुए हैं।

[श्री ओउम् प्रकाश त्यागी]

अगर कोई आदमी हिन्दी में पत्र लिखता है तो उस का जबाव उस को हिन्दी में मिल जाएगा और यह अंग्रेज़ी और हिन्दी दोनों की प्रक्रिया यहां चालू है। सरकार ने हिन्दी समिति भी बनाई है, राज भाषा समिति बनाई है जो कि देखती है कि संविधान की भावना के अनुसार राज भाषा की प्रगति हो रही है या नहीं। समय समय पर उस की मीटिंगस होती हैं, परन्तु मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि अभी जो आन्दोलन न्यायालयों के खिलाफ चल रहा है, ओम् मेहता जी इस की तरफ ध्यान दें। मैं उन का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, यह दोनों आप की इस नीति के अनुकूल आचरण नहीं कर रहे हैं। यहां हिन्दी को भी अंग्रेज़ी के साथ-साथ लाए, इस बात का एक विधेयक रखा गया है और मैं समझता हूं कि वह ठीक है। लेकिन उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का दोष इसमें नहीं है, उसमें दोष हमारी सरकार का है और सरकार का यह दोष है कि यह जो संविधान में धारा रखी गई है कि जब तक इस में परिवर्तन न हो जाए तब तक निर्णय अंग्रेज़ी में ही होगें। 25 साल पहले बने हुए ये नियम अभी तक लागू किए हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि सरकार को यह परिवर्तन कर देना चाहिए ताकि कोई न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का हिन्दी में भी जजमेंट देना चाहे, अंग्रेजी के साथ हिन्दी में जजमेंट की कापी देकर फैसला करना चाहे तो वह हिन्दी में जजमेंट भी दे सकता है और अंग्रेजी में ट्रांस्लेशन कर उसको सुप्रीम कोर्ट में भी पेश कर सकता है। तो इस विधेयक की मूल भावना है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में हिन्दी का प्रयोग किया जाए। वर्तमान समय में कोई मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश अपना निर्णय क्षेत्रीय भाषा में नहीं दे पाता तो अंग्रेज़ी में दे सकता है, यह प्रावधान है। परन्तु हिन्दी में अपना फैसला नहीं दे सकता। मैं समझता हूं कि राजभाषा का इससे ज्यादा अपमान नहीं हो सकता।

ओम् मेहता जी आप इस बात को सिद्धान्त रूप में स्वीकार करते हैं, कर चुके हैं कि ट्रांसलेशन की व्यवस्था है। तो कोई जज हिन्दी में जजमेंट देता है और अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन होकर आ जाएगा तो हिन्दी में फैसला देने में आपत्ति क्या है सिवाय इसके कि हम राजभाषा की जानबूझ कर उपेक्षा कर रहे हैं। जानबूझ कर मैं नहीं कहता, मेरा ख्याल है अनजाने में हुआ है। इसलिए मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं।

इस विधेयक के बारे में यह भी जरूर कहना चाहता हूं कि यह बिल क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में नहीं है। क्षेत्रीय भाषाओं के निर्णय उच्च न्यायालयों में हों, इसमें आपत्ति नहीं है। इसका विरोध यहां भी नहीं है कि हिन्दी को बलात् थोपा जा रहा है। मैं समझता हूं कि दूसरे अहिन्दी प्रान्तों को यह भय था कि तमाम केन्द्रीय सरकार की सर्विसेज के लिए जो परीक्षाए होतीं हैं अगर राजभाषा हिन्दी घोषित कर दी गई तो अहिन्दी भाषी प्रान्तों के बच्चे उनमें पिछड़ जाएंगे और हिन्दी प्रान्तों के बच्चे केन्द्रीय सरकार की नौकरियों में अधिक हो जाएंगे। तो यह आर्थिक प्रश्न था। मैं जहां जहां दक्षिण भारत में गया हूं अहिन्दी प्रान्तों में उनका साफ कहना यह है कि हमें हिन्दी से द्वेष नहीं है, हम हिन्दी के पक्षपाती रहे हैं, हम क्षेत्रीय भाषाओ को भी चाहते हैं, लेकिन हमारे बच्चे राजभाषा हिन्दी की वजह से पिछड़े जाएंगे, इस सिलसिले में

हमको सुविधा मिलनी चाहिए। इस विधेयक के द्वारा उनके मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं है। यह तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के निर्णयों तक सम्बन्ध रखता है। मैं चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार उनकी उस भावना का ध्यान करते हुए इस बात का भी उनको अवसर दे कि वह सरकारी सेवाओं के लिए होने वाली परीक्षाओं में अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में बैठ सकें। कम से कम हिन्दी तो साथ ही साथ लागू करना चाहिए। प्रान्तों के न्यायालयों को भी सुविधा दें इस बात का भी ध्यान रखें।

जैसा मैंने पहले कहा कि यह आवश्यक है कि राजभाषा का सम्मान करते हुए हम इस संशोधन को स्वीकार करें। हम राजभाषा के प्रति अपना सम्मान और आदर प्रकट करेंगे और साथ ही राष्ट्र की जो आन्तरिक भावना है उसका भी हम आदर करेंगे। यह विधेयक राष्ट्रीय एकता की दिशा में बहुत बड़ा पग होगा। किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए सब से आवश्यक वस्तु है उसकी राष्ट्र भाषा, इस लिए उसको अपनाया जाए। विभिन्न प्रान्तों के लोग एक दूसरे के साथ बोलने-चालने में अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकें, समझ सकें तभी एक-दूसरे के समीप आ सकते हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि अंग्रेजी के आने से पहले भारतवर्ष में यही स्थिति थी। इसी कारण हम विदेशियों के सामने झुकते रहे, मार खाते रहे। राष्ट्रभाषा के अभाव में यहां राष्ट्रीय एकता नहीं थी। इसलिए समूचे देश के लिए एक राष्ट्र भाषा होना अत्यंत आवश्यक है। जब अंग्रेज आए तो कुछ हिस्सों में उर्दू भाषा बोली जा रही थी लेकिन वह राष्ट्र भाषा नहीं थी। अंग्रेजों ने यहां आ कर अंग्रेजी को राज भाषा का रूप दिया। उन्होंने थोड़े समय में ही सब को अंग्रेजी का ज्ञान करा दिया और अपना सारा प्रशासनिक कार्य अंग्रेजी में करते रहे। अगर अंग्रेजी इतनी दूर से आने के बाद भी, हजारो मील दूर से आने के बाद भी, जहां के लोग एक शब्द भी अंग्रेजी का नहीं जानते हों वहां अपना मतलब सिद्ध करने के लिए, अंग्रेजी को यहां की राज भाषा बना सके तो हम आजादी मिलने के बाद, स्वतंत्र होने के बाद आपस में विचार-विनिमय करने के लिए अपना शासन चलाने के लिए क्यों नहीं हिन्दी भाषा को राष्ट्र भाषा बना सकते हैं। मैं समझता हूं जब अंग्रेज, 1947 में चले गए थे उसी वक्त यहां से अंग्रेजी चली जानी चाहिए थी। सरकार कहती है कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा लागू करने में बहुत सी कठिनाइयां आ रही हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि टर्की की भी यही स्थिति थी। वहां के कमालपाशा ने अपनी राष्ट्रभाषा लागू करने के लिए वहां के विद्वानों को आमंत्रित किया। उनसे पूछा आपको अपनी राष्ट्र-भाषा लागू करने के लिए कितने दिन चाहिएं? उन्होंने कहा कि इतने साल लग जाएंगे। तब उसने कहा कि नहीं, मैं तो आज ही चाहता हूं। इसे तुरन्त लागू किया जाए और ऐसा हो गया। मेरा कहना है कि इसके लिए दृढ़ इच्छा, दृढ़ निश्चय की आवश्यकता है। इसी प्रकार से मैं बतलाना चाहता हूं कि इजराइल में भी यही हुआ। वहां पर जर्मनी, इंगलैंड और दूसरे देशों से लोग आए। वहां पर भी कई भाषाएं थी। उन्होंने अपनी एक राष्ट्रभाषा खोज करने की कोशिश की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि नो रशियन, नो जर्मनी एण्ड नो अंग्रेजी। हमारी भाषा वही होगी जिस से हम सांस्कृतिक, और धार्मिक दृष्टि से अपने राष्ट्र का सही निर्माण कर सकते हैं। एक भाषा बैबीलोनिया में बहुत देर से, बहुत वर्षों से, चल रही थी। इसी को उन्होंने एक

[श्री ओउम् प्रकाश त्यागी]

नया जीवन दिया और वह हिब्रू भाषा कहलाई। आज इजराइल की अपनी राष्ट्र भाषा है। सभी कामकाज उनकी उसी भाषा में हो रहा है। लेकिन इधर हम को आजाद हुए 28 वर्ष हो गए और हमको कठिनाइयां अनुभव हो रही हैं। सोचते हैं कि अगर हिन्दी को लागू कर देंगे तो पता नहीं इस देश में क्या हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि इसमें केवल दृढ़ भावना, दृढ़ इच्छा की बात है।

मैं समझता हूं अगर न्यायालयों की भाषा, निर्णयों की भाषा हिन्दी हो जाए तो तमाम प्रान्तों के लोग इनसे संबंधित जानकारी हिन्दी में ही लेने की चेष्टा करेंगे।

इसी प्रकार आप हिन्दी फिल्मों को ले लीजिए। मैं नहीं समझता कोई भी हिन्दी फिल्म से घृणा करता है। हिन्दी फिल्मों के प्रति इतना आकर्षण है कि लोग नहाते वक्त, चलते वक्त हिन्दी गाने गाते रहते हैं। तमिलनाडु की सरकार भले ही हिन्दी का विरोध करे लेकिन अगर आप वहीं जा कर देखेंगे तो सड़कों पर चलते हुए, नहाते हुए, खाना खाते वक्त हिन्दी गाना गाते हैं। यह सत्य है कि जहां, जिस प्रदेश में लोग रहते हैं उन लोगों का उस प्रदेश की भाषा के प्रति आकर्षण होना स्वाभाविक है। इस लिए आप इस राष्ट्रभाषा को यह स्थान उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायलय में दें। एक बात और कह कर मैं अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। इस संबंध में अभी स्थिति बड़ी दयनीय है। श्री ओम् मेहता जी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि इस विधेयक से संबंधित विषय पर कुछ दिन पहले एक प्रश्न आया था जिसमें यह पूंछा गया था कि प्रान्तों में क्षेत्रीय भाषाओं में और हिन्दी में कितने निर्णय होते हैं ? इस संबंध में यह बताया गया 99.9 परसेन्ट निर्णय अंग्रेजी में ही होते हैं। राज्यों के अन्दर उच्च न्यायालयों में इस बारे में कोई विशेष काम नहीं हुआ है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ने कुछ निर्णय हिन्दी में जरूर दिये, लेकिन स्थिति संतोषजनक नहीं है। यह कितने आश्चर्य की बात है कि केन्द्रीय सरकार की नाक के नीचे दिल्ली में उच्च न्यायालय की बात तो दूर है, नीचे से जो न्यायालय हैं, जैसे तीस हजारी के अन्दर न्यायालय हैं, वहां पर सभी निर्णय जनता की भाषा हिन्दी में न होकर अंग्रेजी में ही होते हैं। आप जानते हैं कि दिल्ली की राजभाषा हिन्दी है। इसलिए मेरी अंतिम प्रार्थना यह है कि सरकार के विरोध के दृष्टिकोण से मैंने यह विधेयक प्रस्तुत नहीं किया है बल्कि देश भक्ति और देश-स्वाभिमान के वशीभूत होकर सरकार का ध्यान इस ओर खींचा है। जिस नीति को सरकार ने स्वीकार किया है और जिस नीति को सरकार प्रगति की दिशा देना चाहती है और आज इस इमरजेन्सी में जिन प्रोग्रामों को हाथ में लेकर सरकार आगे बढ़ना चाहती है, मैं चाहता हूं कि राजभाषा के प्रश्न को भी सरकार को हाथ में लेना चाहिए और इस दिशा में तेजी से प्रगति हो, इसके लिए हो, इसके लिये प्रयास किया जाना चाहिए। इसलिये मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय मेरे इस विधेयक को स्वीकार करेंगे।

The question was proposed.

श्री कल्प नाथ राय (उत्तर प्रदेश) : आदरणीय-उप-सभापति महोदय, आज इस सदन में जो प्राइवेट मेम्बर्स बिल श्री ओम प्रकाश त्यागी जी ने पेश किया है, मैं उसकी भावना से सहमति प्रकट करते हुए भी यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्र भाषा का सवाल देश की आजादी से है, राष्ट्र भाषा का सवाल देश के उत्पादन से है, राष्ट्र भाषा का सवाल देश के मान और मर्यादा से है। मैं चाहता हूं कि हाई कोटर्स और सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंग्रेजी में नहीं बल्कि मातृभाषाओं में होना चाहिए।

हमने हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का संकल्प किया है । भारत की सरकार ने अपने संविधान में एक प्रावधान किया है कि हिन्दुस्तान की राष्ट्रभाषा हिन्दी होगी । राष्ट्रपति एक आयोग बैठाएंगे जो 15 वर्ष के अन्दर अंग्रेजी के इस्तेमाल को घटाने और हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने पर विचार करेगा और 15 वर्ष के बाद हिन्दी हिन्दुस्तान की राष्ट्रभाषा होगी । हमारी सरकार की नियत ठीक है । लेकिन कुछ प्रतिक्रिया वादी ताकतों ने और कुछ दक्षिण पंथी ताकतों ने राजनैतिक भावनाओं से प्रेरित होकर लोगों की भावनाओं को भड़काया है । उन्होंने उत्तर दक्षिण और पूर्व-पश्चिम का सवाल पैदा कर लोगों की भावनाओं को उभारा है । मैं हिंदी के राष्ट्रभाषा होने का अर्थ यह समझता हूं कि हिन्दी का संबंध तामिल, तेलुगु और मलयालम से भी है । तामिल, तेलुगु, मलयालम, हिन्दी, उर्दू आदि सभी हमारी मातृभाषाएं हैं । इन सभी को हमें आगे बढ़ाना है । जब तक हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का विकास नहीं होगा और वे आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हमारे राष्ट्र का चतुर्दिक और सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है ।

मैं आपके सामने लार्ड मैकाले द्वारा कही गई एक बात कहना चाहता हूं ; हिन्दुस्तान में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की स्थापना के समय लार्ड मैकाले ने एक बात कही :

"We must do our best to form a class which may be an interpreter between us and the millions whom we govern a class of persons, Indian in blood and English in intellect."

"हिन्दुस्तान को मानसिक रूप से गुलाम रखने पर ही हिन्दुस्तान में ब्रिटिश साम्राज्यवाद कायम रह सकेगा "। लार्ड मैकाले ने अंग्रेजी साम्राज्यवाद को मजबूत बनाने के लिए पहली शर्त रखी कि हिन्दुस्तान की भाषा अंग्रेजी को बना दो । आदरणीय उपसभापति महोदय, भाषा का सवाल हमारे देश का एक बुनियादी सवाल है, इस सवाल पर देश की संसद को बैठ कर केवल 2 घंटे नहीं, बल्कि 4 दिन नहीं, हफ्तों बैठ कर इस बात पर विचार करना चाहिए और देश के लिए एक भाषा-नीति बनानी चाहिए । इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या होगी कि अंग्रेजी के अलावा सुप्रीम कोर्ट में न तो हिंदी का मान्यता-प्राप्त संविधान है, न तेलगू का संविधान है, न तमिल का संविधान है, न मलयालम का संविधान है, न उड़िया का न बंगला का संविधान है । भारत की सरकार को अंग्रेजी के अलावा हिंदी और उर्दू का, मलयालम का, तेलगू का, तमिल का, और हिन्दुस्तान की सभी भाषाओं का मान्यता-प्राप्त संविधान बनाना चाहिए जिससे कि मातृभाषाओं को प्रोत्साहन मिलेगा । त्यागी जी ने एक बात कही कि सर्वोच्च न्यायालय में अंग्रेजी का प्रयोग नहीं है । जब देश की संसद ही अंग्रेजी में चलेगी, देश की लोक सभा और राज्य सभा अंग्रेजी में लगातार 25 वर्षों से चल रही है तो क्या सुप्रीम कोर्ट में हिंदी, तेलगू, तामिल, मलयालम चलेगा ? क्या हिंदुस्तान के राजकाज में मातृभाषाएं चलेंगी ? इसलिए जब देश में मातृभाषाओं के माध्यम से देश का राजकाज चलेगा तभी इस देश की सीमाओं की रक्षा होगी, तभी राष्ट्र अन्न के मामले में आत्मनिर्भर होगा, तभी इस मुल्क में सामाजिक उत्पीड़न और आर्थिक गुलामी से इस देश को आजादी मिलेगी ।

आदरणीय उपसभापति महोदय, हिन्दुस्तान का इतिहास जानने की कोशिश हमें करनी चाहिए । जब इस देश में हिंदुओं की हुकुमत थी तब राजकाज की भाषा संस्कृत थी और जनता की बोली अपभ्रंश, देवनागरी हिंदी, उर्दू, मलयालम आदि थी ; जब इस देश में मुगलों की हुकुमत कायम हुई तो राजकाज की बोली फारसी और जनता की बोली हिंदी, उर्दू और जनता द्वारा बोली जाने वाली बोलियां रहीं ; जब इस देश में अंग्रेजों की हुकुमत कायम हुई तो राजकाज की बोली अंग्रेजी और जनता की बोली अन्य बोलियां हुई । इसीलिये हमारे देश की आजादी की लड़ाई

[श्री कल्प नाथ राय]

लड़ने वाले देश के महान नेताओं ने यह संकल्प किया कि हिन्दुस्तान की आजादी के बाद इस देश की भाषा हिंदी होगी । बापू ने, देश की आजादी के पितामह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा कि यदि मैं हिन्दुस्तान का तानाशाह हूंगा तो कलम की एक नोक से हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा बनाऊंगा । देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले सुभाषचन्द्र बोस ने इम्फाल के मैदान में "कदम-कदम" बढ़ाए बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तु कौम पर लुटाए जा" का गीत गाया था । हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में सैकड़ों और हजारों माताओं ने अपनी गोदी को सूना किया, किसानों के बेटों ने लड़ाई लड़ी, मातृभाषा के माध्यम से । लेकिन आज इस सवाल पर यह जो देश के अंदर एक झगड़ा खड़ा किया जाता है हिंदी बनाम अंग्रेजी का-- जब आप हिंदी का नाम लेते हैं तो दक्षिण में कुछ प्रतिक्रियावादी या सामंतवादी ताकतें, राष्ट्रद्रोही ताकतें, यह कहना शुरू कर देती हैं कि उत्तर के लोग हिंदी साम्राज्यवाद को दक्षिण पर लादना चाहते हैं। और क्या यह सही नहीं है कि जो विरोधी पार्टियां कांग्रेस के खिलाफ हैं वे उस भावना को उभाड़ती हैं अपने कुत्सित स्वार्थ की पूर्ति के लिए ? इसलिए राष्ट्रीय एकीकरण के सवाल पर एक गवर्नमेंट कांफरेंस होनी चाहिए और सभी पार्टियों को अपने प्रतिनिधियों को उसमें बैठा कर मुस्तैदी के साथ इस सवाल पर बहस चलानी चाहिए ।

जब देश के पार्लियामेंट के अन्दर मंत्री महोदय भाषण देते हैं और मेम्बर पार्लियामेंट भाषण करते हैं तो दर्षक दीर्घा में भीड़ नहीं रहती है । लोग हिंदी जानते हैं, उड़ीसा जानते हैं, बंगला जानते हैं, और इस देश की दूसरी भाषाएं जानते हैं और वही लोग दर्शक दीर्घा में पार्लियामेंट की कार्यवाही सुनने के लिए आते हैं । हमारे देश की 60 करोड़ जनता में से साढ़े उनसठ करोड़ जनता अंग्रेजी नहीं जानती है । यही लोग पार्लियामैंट की कार्यवाही देखने के लिए आते हैं और पांच मिनट के अन्दर दर्शक दीर्घा से चले जाते हैं क्योंकि वे यहां पर कार्यवाही अंग्रेजी में चलते देखते हैं जो उनकी समझ में नहीं आती है । तो जब तक राजनीति का रिश्ता भाषा से है, भाषा का रिश्ता राजनीति से है और राजनीति का रिश्ता जनता की तरक्की से है, आर्थिक उत्थान से और सामाजिक उत्पीड़न से मुक्ति दिलाना है, हमारे सीमा की रक्षा का सवाल है, अन्न उत्पादन बढ़ाने का सवाल है, देश में चतुर्दिक सर्वांगिण विकास करने का सवाल है, तो इन सारी चीजों पर बहस संसद के अंदर ही होती है । जिन लोगों के लिए बहस होती है अगर वही लोग यहां की बात को न समझ पाये, तो निश्चय ही राजनीतिक सम्बन्ध में उनकी जानकारी नही होगी । हमारे देश के महान नेता प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में हिन्दुस्तान आज दुनिया का एक सब से बड़ा शक्तिशाली राष्ट्र बन गया है और एशिया का एक मेजर पावर बन गया है । इस महान नेता के नेतृत्व में हिन्दुस्तान ने बहुत बड़ी तरक्की की है । इस लिए मैं विरोधी दल के लोगों से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करना चाहता हू, श्री त्यागी जी से, डी०एम० के० लोगों से, स्वतंत्र पार्टी के लोगों से और जन संघ के लोगों से कहुंगा कि वे सब मिलकर प्रधान मंत्री को लिखकर दें कि इस देश की राष्ट्र भाषा हिन्दी को पंडित जवाहर लाल नेहरू, महात्मा गान्धी, श्री पुरषोतम दास टंडन और देश की संविधान सभा ने मिलकर वह भाषा, अपने देश की राष्ट्र भाषा को अंग्रेजी की जगह पर हिन्दी को बनाया, हिन्दी ही हमारी मातृ-भाषा होगी और हम लोग एक मत होकर आपका इस बात के लिए समर्थन करेंगे । अगर इस तरह की बात लिखकर सब लोग प्रधान मंत्री को देंगे, तो मैं नहीं समझता हूं कि प्रधान मंत्री संविधान में लिखी हुई बात को लागू करने में कोई हिचकिचाहट करेगी ?

अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो एक लिंक लैंग्वेज है, जो हिन्दुस्तान की सभी भाषाओं

से अपना संबंध जोड़ती है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब हिन्दी को राष्ट्रभाषा बना दिया जाय । यहां पर पार्लियामेंट के सभी मेम्बरों को भी अपनी अपनी मातृ-भाषा में बोलना चाहिए क्योंकि यहां पर बहुत से लोग जो मानसिक रूप से गुलाम हैं, जो इंटेलेक्चुवली हैं, जो बौद्धिक दृष्टि से गुलाम हैं, वे ही ज्यादातर अंग्रेजी में बोलना अपना गौरव समझते हैं । इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हर एक संसद सदस्य को इस बात की प्रतीक्षा करनी चाहिए कि वह यहां पर अपनी मातृ-भाषा में बोलेगा । मैं हिन्दी भाषा भाषी इलाके से आता हूं । अगर श्री भूपेश गुप्त बंगला में बोलेंगे, तो उनसे दो तीन चीजें हम भी सीख लेंगे । अगर वे बंगला में "आमार सोनार बांगला, आमी तोमाय भालो वासी" बोलेंगे, तो हम उनकी भाषा सीख लेंगे । अगर हम हिन्दी भाषा में बोलेंगे तो वे हमारे दो-चार शब्द सीख लेंगे । हमारे कांग्रेस के प्रेजीडेंट श्री कामराज "तामिल" में "पारकलाम" शब्द बोलते थे, तो हमने इस शब्द को सीख लिया था । हमारे ऊर्दू जानने वाले भाई जो नज्म पढ़ा करते हैं फिराक गोरखपुरी की:

शामे गम कुछ निगाहे नाज की बातें करो,
बेकसी बढ़ने लगी कुछ राज की बातें करो,
फिर कफस की तीलियों से झर रहा है नूरसा,
कुछ फिजा कुछ हरसते परवाज की बातें करो

हम ऊर्दू पढ़े नहीं हैं, लेकिन चूंकि दिल को अच्छी लगती है इसलिए हम को यह बात अच्छी लगती है और यही कारण है कि हमने इसको याद कर लिया । अंग्रेजी भाषा से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है और न ही हम अंग्रेजी भाषा के खिलाफ हैं । लेकिन सब से बड़ा सवाल यह है कि इस राष्ट्र की मातृ-भाषा कोई भाषा होगी या नहीं ? जब ब्रेजनेव हमारे देश में आते हैं, तो क्या वे यहां पर अंग्रेजी में बोलते हैं । क्या इंग्लैंड से आने वाले कोई प्रधान मन्त्री यहां पर हिन्दी में बोलता है ? वह तो यहां पर अपनी ही भाषा अंग्रेजी में ही बोलते हैं ? दुनिया के हर देश का राष्ट्रपति और हर देश का प्रधान मन्त्री जिस के मन में राष्ट्र के प्रति निष्ठा होगी वह केवल अपनी मातृ-भाषा में ही बोलेगा ।

अंग्रेजी की जानकारी रखना, फ्रेंच की जानकारी रखना, तमिल की जानकारी रखना, रशियन लैंग्वेज को जानना, चीनी भाषा को जानना कोई गलत बात नहीं है । अगर कोई व्यक्ति 50 भाषायें जानता है तो उसे गोल्ड मैडल मिलना चाहिए । 10 भाषायें जानता है तो उसे सिल्वर मैडल मिलना चाहिए, 4 भाषायें जानता है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए । लेकिन किसी राष्ट्र की भाषा क्या होगी ? त्यागी जी, आपने हिन्दी और उर्दू का एक सवाल बना रखा है । क्या हिन्दी और उर्दू में कोई फर्क है ? हिन्दी और उर्दू एक ही भाषा की अलग अलग शैलियां हैं । आप लोग हिन्दी कैसी चाहते हैं ? हम तो कलेक्टर को भी हिन्दी मानते हैं, हम डिप्टी को भी हिन्दी मानते हैं हम मजिस्ट्रेट को भी , पार्लियामेंट को भी हिन्दी मानते हैं, जो जनता बोले वह हिन्दी है । मगर आप हिन्दी किसको मानते हैं ? 'एकनिष्ठ, ध्येयनिष्ठ, राष्ट्र के सर्वांगीण, चतुर्दिक विकास के लिए–चन्द्र––दिवाकरो––' कोई आपकी भाषा को समझ नहीं सकता । जब इस प्रकार की हिन्दी बोली जाती है तो उर्दू जानने वालों की तरफ से विरोध किया जाता है । इन्कलाब जिन्दाबाद––सरदार भगतसिंह जो आजादी के सबसे बड़े सेनानी थे उन्होंने उर्दू में पत्र लिखे क्योंकि पंजाब के लोग उर्दू अपनी मातृ भाषा मानते हैं । लेकिन हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक तरफ नारा लिखा हुआ है 'उर्दू नहीं तो मौत'; दूसरी तरफ लिखा हुआ है 'हिन्दी नहीं तो मौत' । जो गंवार लोग हैं, बिल्कुल जाहिल किस्म के लोग हैं उनके बीच अपने राजनैतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हिन्दुस्तान के विरोधी

[श्री कल्प नाथ राय]

दलों के लोग छोटे सवालों को लेकर उन्हें भड़काते हैं। क्या सब लोग यह नहीं जानते ह कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने 1965 में जो हिन्दी अंग्रेजी का आन्दोलन खड़ा किया था उसके पीछे एक बहुत बड़े राजनैतिक स्वार्थ को प्राप्त करने की साजिश थी ? क्या हिन्दी का विरोध करने वाले लोगों को तमिलनाडु में करुणानिधि के द्वारा ताम्र-पत्र नहीं दिये गये ? इस तरह के राष्ट्र द्रोही, इस तरह के जनघाती, इस तरह के राष्ट्रघाती लोगों के साथ क्या आप हाथ में हाथ नहीं मिलाये हुए हैं, त्यागी जी ? क्या आपको यह बात शोभा देती है कि जो लोग राष्ट्र के खिलाफ काम करें उनके साथ साथ आप एलाइन्स बना लें। इंदिरा गांधी को हटाने के लिये ? जब कभी आप राष्ट्र द्रोही, जनघाती तत्वों के साथ बैठकर अपने निहित स्वार्थों के लिए या अपने राजनैतिक स्वार्थों के लिए जनता को गुमराह करते हैं तो हमारी प्रधान मन्त्री के पैर भी, न चाहते हुए भी, अपने पोलिटिकल एग्जिस्टेंस को कायम रखने के लिए कभी न कभी इधर उधर जा सकते हैं जो कि स्वाभाविक बात है। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि इस सवाल को संसद में लाने के पहले एक मेमोरेंडम के माध्यम से भारत के प्रधान मन्त्री के सामने प्रस्तुत करिये कि हम जनसंघ के, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के, स्वतन्त्र पार्टी के, अन्ना डी० एम० के० के, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के, सी० पी० एम० के, कम्युनिस्ट पार्टी के सब लोग मिलकर आपको यह मेमोरेंडम देना चाहते हैं कि भारत के संविधान में 15 वर्ष के अंदर हिन्दी को राष्ट्र भाषा बनाने की जो प्रतिज्ञा की गई थी उस प्रतिज्ञा को आप पूरा करें। मैं आपको यह वचन देना चाहता हूं कि मैं अपने नेता ओम मेहता जी के साथ प्रधान मन्त्री के पास जाऊंगा और कहूंगा कि इन विरोधी दलों के द्वारा राष्ट्र भाषा के सवाल पर जो एक इत्तिहाद दिखलाया गया है, जो एकता दिखलाई गई है उसको देखते हुए आप इनकी बात को मान लें। तब आपकी भावनाओं के अनुकूल राष्ट्र का निर्माण होगा और हिन्दी राष्ट्र की और जनता की भाषा होगी और सुप्रीम कोर्ट में भी लोग उसे बोलेंगे। आप विरोधी दल के लोग अगर यह फैसला कर लें कि हम अंग्रेजी में नहीं बोलेंगे तो सरकारी पार्टी के लोग भी लज्जित होकर, कुछ ईमानदारी से, कुछ सच्चाई से, कुछ गुलामी की मनोवृत्ति को छोड़कर मातृभाषा में ही राष्ट्र के काम को करेंगे। तभी इस देश की 60 करोड़ जनता के मन को उत्साह मिलेगा, इस राष्ट्र का मन मजबूत होगा देश का मन मजबूत होगा, जिससे हमारे देश का सर्वांगीण विकास हो सकेगा। धन्यवाद।

प्रो० रामलाल पारीख (गुजरात) : सभापति महोदय, यहां जो बिल पेश किया गया है उस का मैं मोटे तौर पर समर्थन करना चाहता हूं। मैं यह समझ कर इसका समर्थन करता हूं कि यह सवाल कोई दलबन्दी का सवाल नहीं है। कोई पार्टी और कोई दल की नीति का यह सवाल नहीं है।...

श्री गुणानन्द ठाकुर (बिहार) : कम से कम जो इसका समर्थन करते हैं वह अपनी पार्टी के सदस्यों को कहें, सलाह दें कि वह हिन्दी में भाषण किया करें। यहां ऐसा लेक्चर करते हैं लेकिन बोलते अंग्रेजी में हैं।

प्रो० रामलाल पारीख : यह सवाल सभी दलों के लिए है, किसी एक दल का इस में सवाल नहीं है। इस सवाल को दलबन्दी से परे रह कर हमें सोचना चाहिए क्योंकि यह सवाल हमारे देश की राष्ट्र भाषा का सवाल है। जब हम स्वतन्त्र हुए थे तो हमारे स्वातंत्रय आन्दोलन के पीछे यह भावना थी कि स्वराज्य के बाद हमारा सारा काम काज अदालतों का, शासन का, संसद् और विधान सभाओं का और तमाम सरकारी तन्त्र का काम काज, तमाम विविध विभागों का काम काज और उस के अतिरिक्त पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षायें आदि सब लोक

भाषाओं के माध्यम से हों । सवाल मूलत: यही है कि यह संकल्प संविधान का है, सारे राष्ट्र का है । इस में किसी व्यक्ति या दल को श्रेय देने या लेने की बात नहीं है और हमारे बड़े बड़े नेताओं ने, गांधी जी ने, जवाहर लाल जी ने, राजेन्द्र बाबू ने, मौलाना आजाद ने इस बात को बार बार दोहराया था, हम इस के लिए संकल्पबद्ध थे कि हम इस देश के आजाद होते ही यहां की जनता की भाषा में अपना सारा काम काज चलायेंगे । जहां तक राज्यों का सवाल है उन का काम प्रादेशिक भाषाओं में होगा और केन्द्र का सारा काम हिन्दी में चलायेंगे । उम्मीद थी कि 15 वर्ष में हम इस काम को पूरा कर पायेंगे । लेकिन इस में कई दिक्कतें हुई । मैं मानता हूं कि किसी पर कोई भाषा थोपी नहीं जा सकती. हम कितना भी चाहें भाषा किस पर थोप नहीं सकते और सरकार भी इस में कुछ नहीं कर सकती । तो सवाल यह नहीं है कि हिन्दी भाषा को या किसी अन्य भाषा को जबरदस्ती से किसी पर थोपा जाए । सवाल तो यह है कि केन्द्रीय सरकार के सिर पर एक कर्त्तव्य है कि हिन्दी भाषा हमारे देश की आफिशियल लैंग्वेज है, सत्ताधीश राज भाषा है, कानूनन संविधान में रखी गयी है । उस में है कि हिन्दी हमारे देश की राज भाषा होगी और साथ में अंग्रेजी भी जारी रहेगी एसोशियेटेड लैंग्वेज के रूप में, सह भाषा के रूप में । मैं मानता हूं कि इस बिल में अंग्रेजी का कोई विरोध नहीं है और मैं निजी तौर से कहूं कि मैं अंग्रेजी के विरुद्ध नहीं हूं, अंग्रेजी हटाने के आन्दोलन के साथ मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है । अंग्रेजी का स्थान अंग्रेजी की जगह है और हिन्दी का स्थान हिन्दी की जगह है और जहां तक मातृभाषा का सवाल है, मातृभाषा तो अपनी जगह पर है । भाषाओं को इतिहास, संस्कृति और लोक दर्शन की दृष्टि से उनका स्वाभाविक स्थान दिया गया है और इस दृष्टि से मैं मानता हूं कि काफी काम हुआ है । यह बात भी सही है कि अंग्रेजी भले ही चालू रहे, इसका कोई विरोध नहीं, लेकिन सवाल इतना है ही है कि चूंकि हम हिन्दी को मूल राज भाषा मानते हैं इसलिए क्या उस का स्थान वैकल्पिक भी नहीं होना चाहिए ? वैसे आज हमारे इस सदन में दोनों भाषाओं में काम चलता है, अंग्रेजी में भी और हिन्दी में भी और प्रादेशिक भाषाओं में भी चलता है, अभी कुछ प्रादेशिक भाषाओं की यहां व्यवस्था है, लेकिन सारी प्रादेशिक भाषाओं की व्यवस्था हम को यहां करनी होगी भविष्य में, लेकिन सारी प्रादेशिक भाषाओं को आप अलग नहीं रख सकते । हिन्दी को उन की जोड़ भाषा के रूप में रखा जाए । मेरी तो हिन्दी मातृ भाषा नहीं है । मेरी मातृ भाषा गुजराती है, लेकिन मैं हिन्दी का चाहक हूं, उपासक हूं, समर्थक हूं इसलिए मैं मानता हूं कि हिन्दी भाषा और प्रादेशिक भाषाओं का मिला जुला काम है और हमारे संविधान की जो 351 धारा है उस में हिन्दी के स्वरूप के बारे में साफ लिखा गया है ।

इसमें लिखा गया है, मैं पढ़ना चाहता हूं—

It shall he the duty of the Union to promote the spread of the Hindi language, to develop it so that it may serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India…."

यह कंपोजिट कल्चर आफ इंडिया, हिन्दुस्तान की बहुभाषी, अनेक प्रतिभावान जो संस्कृति है इसको ध्यान में रखते हुए हिन्दी का विकास करने का एक बड़ा कर्त्तव्य केन्द्रीय सरकार के सिर पर रखा गया है ।

इसमें आगे यह भी लिखा गया है—

"....and to secure its enrichment by assimilating without interfering with its genius, the forms, style and expressions used in Hindustani and in the other languages of India specified in the Eighth Schedule, and by drawing, wherever necessary or desirable, for its vocabulary, primarily on Sanskrit and secondarily on other languages."

[प्रो० रामलाल पारीख]

मैं मानता हूं कि संविधान का जहां तक सवाल है हिन्दी के स्वरूप के बारे में बहुत निश्चित बात कही गयी है। वहां हम इसका अमल न कर पायें तो दूसरी बात है। यहां केन्द्र की भाषा की बात चल रही है। प्रदेशों की बात नहीं चल रही है। यदि कम्पोजिट हिन्दी होगी तो सारी भाषाओं का इसमें योगदान होगा। मैं मानता हूं कि जनता को हमारे शासन से नजदीक लाना बहुत महत्व की बात है। इस बारे में जितना विलम्ब हो रहा है हमारी जनता और शासन के बीच में बड़ा अन्तर पड़ रहा है वह हम कम नहीं कर सके हैं। मुझे विश्वास है कि हमारी प्रधान मन्त्री जी चाहती हैं, हमारे गृह मन्त्री जी भी चाहते हैं कि जनता और शासन के बीच में कोई अन्तर नहीं रहे। हमारी जनता अनुभव करे कि शासन हमारा है। यदि अपने देश में अपनी भाषा में राज न चले तो यह संभव नहीं है। इसीलिए हिन्दी का महत्व है। इस बारे में काफी काम भी हुआ है। संसद में हिन्दी में अनुवाद की व्यवस्था है सारे प्रकाशन भी निकलते हैं। अभी तीन दिन पहले राज भाषा सम्मेलन हुआ। बैंकों में भी हिन्दी का काम शुरू हुआ है इसके लिए मैं गृह मन्त्रालय के राज भाषा विभाग को धन्यवाद देता हूं। जब मैंने यह रिपोर्ट पढ़ी तो मुझे खुशी हुई कि गृह मन्त्रालय काफी जोर से इस चीज को आगे बढ़ा रहा है। इसमें एक सुझाव और आ रहा है। हमारे प्रकाशन दोनों भाषाओं में निकल रहे हैं। हिन्दी को बढ़ाने की व्यवस्था है, हिन्दी के प्रचार के लिए हिन्दी को महत्व देने की व्यवस्था है तो तरह तरह के हिन्दी को बढ़ाने के जो स्थान हैं उन पर ध्यान केन्द्रित करने की जरूरत है, एक तो अदालतों में और दूसरे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं में। मैं मानता हूं कि जब जवाहरलाल जी ने वर्किंग कमेटी में एक दफे साफ कह दिया था कि हमारी चौदह भाषाओं में, हमारी सारी प्रादेशिक भाषाओं को समान स्थान मिलेगा। इसके बाद कोई झगड़े का सवाल नहीं है। इसमें कोई विरोध नहीं है। सवाल यह है कि जहां तक अदालतों के कार्य क्षेत्र हैं उनमें हिंदी को कैसे लागू किया जाए। अदालतों के कार्य क्षेत्रों में, भिन्न भिन्न प्रांतों में प्रान्तीय भाषायें होनी चाहिए। इसके लिये कुछ जगह हुआ भी है। राष्ट्रपति जी को अधिकार है कि राज्यपाल ऐसा सुझाव रखें तो उसको मंजूर कर सकते हैं परन्तु इतना काफी नहीं है। एक बात जरूर है कि धीरे धीरे इस ओर बढ़ना चाहिए और प्रादेशिक भाषाओं का उपयोग भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसका एक प्रतिबिंब हमारी अदालतों में पड़ना चाहिए। अदालतों में जो वकील आ रहे हैं उनको अंग्रेजी भाषा में व्यवहार चलाने में काफी दिक्कत हो रही है। अंग्रेजी जानने वाले कम होते जा रहे हैं। भले ही कुछ धनी लोग पब्लिक स्कूल्स में अपने बच्चों को भेजकर अपना एक छोटा दायरा बना लेते हैं। उनकी बात छोड़ दीजिए। मैं दक्षिण में, केरल में भी गया हूं। वहां की आम जनता अंग्रेजी समझ नहीं पाती। तमिलनाडु में भी आम जनता अंग्रेजी नहीं समझ पाती। अदालतों का जो कार्य-क्षेत्र है उसके लिए इसमें इतना ही सुझाव दिया गया है कि अंग्रेजी में काम भले ही चालू रहे हिंदी में भी चालू होना चाहिए। इसमें अंग्रेजी हटाने की बात नहीं है। ऐसी बात हो तो मैं उसका समर्थन नहीं कर
1 P.M. सकता। पुराने जमाने में भी जब कभी अंग्रेजी हटाओ आन्दोलन चला मैंने समर्थन नहीं किया। मैं इसका समर्थक नहीं हूं। मैंने निवेदन इतना ही किया है कि प्रादेशिक भाषाओं के साथ हिन्दी को धीरे-धीरे रचनात्मक और विधायक दृष्टि से आगे बढ़ाएं। संविधान में वैकल्पिक स्थान जो हिन्दी का है वह उसे मिलना चाहिए। हिन्दी में भी न्यायालय अपना फैसला दे सकते हैं और उसके साथ अंग्रेजी अनुवाद भी दें। अगर आप कहें कि हिन्दी में ही सब

फैसले दिये जायें मैं ऐसे नैगेटिव पहलू के साथ नहीं हूं। सिर्फ अंग्रेजी की बात जो है इसको थोड़ा हल्का करना चाहिए। मुझे विश्वास है जिस गम्भीरता से राजभाषा विभाग ने और चीजें उठाई हैं, यहां राजभाषा मन्त्रालय के मन्त्री बैठे हैं वे स्वीकार करेंगे कि इस दिशा में आगे जाना बहुत जरूरी है। हम यह चाहेंगे कि हिन्दी को काफी बल मिले अगर इसको बल मिलता है तो मैं समझता हूं इससे किसी को नुकसान नहीं होगा। किसी को दबा करके यह काम किया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। साफ बात यह है कि हिन्दी का जो वैकल्पिक स्थान है वह उसे दिया जाए। इसमें कहीं झगड़ा नहीं है।

जहां तक हिन्दी के नाम का सवाल है, मेरे मित्र ने उस ओर से जो कहा उससे मैं पूरी तरह सहमत हूं। मैं हिन्दुस्तानी नाम पसन्द करता हूं। आज भी हिन्दुस्तानी नाम हिन्दी को दे सकते हैं तो मैं इसका स्वागत करूंगा। मेरा यह भी कहना है कि हिन्दी और उर्दू का झगड़ा लाने की कोई जरूरत नहीं है। हिन्दी और उर्दू मिलीजुली भाषा है। महात्मा गांधी जी ने तो कहा था कि हिन्दी-उर्दू का झगड़ा नहीं होना चाहिये। उन्होंने गुजरात विद्यापीठ में उर्दू अनिवार्य भाषा रखी। वहां पर हिन्दी सीखने वालों को उर्दू भी सीखनी पड़ती है। हम मानते हैं कि राष्ट्रभाषा और प्रान्तों की भाषाओं में कोई विरोध नहीं। एक कौम के लोगों को दूसरे कौम के लोगों से, एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के लोगों से विचार-विनिमय करने में, सम्पर्क करने में राष्ट्र भाषा से सुविधा मिलती है। राष्ट्रीय एकता कायम होती है। हिन्दी हम सब को नजदीक लाने के लिए है, हम सब को दूर करने के लिए, विरोध करने के लिए या विभाजन करने के लिए नहीं है।

हम यह मानते हैं कि वक्त आ गया है अब हमें राज्यों की उच्च अदालतों में प्रांतीय भाषाओं में कार्रवाई करने की छूट देनी चाहिए। सिर्फ छूट देने का सवाल है अंग्रेजी प्रतिबन्धित करने का सवाल बिल्कुल नहीं है। अंग्रेजी को प्रतिबन्धित नहीं करना चाहते हैं अंग्रेजी के साथ-साथ जो दूसरी भाषाएं हैं, सह भाषाएं हैं उनको उचित स्थान मिलना चाहिए। जो मूल भाषा है, आफिशियल लैंग्वेज है उसका वैकल्पिक स्थान भी न हो यह सही बात नहीं है। इसी दृष्टि से मैं मानता हूं अदालतों में छूट दी जाए। इसमें थोड़ा सा मेरा संशोधन है। प्रांतों में प्रादेशिक भाषा और सर्वोच्च अदालत में अंग्रेजी भाषा के साथ हिन्दी वैकल्पिक रूप में काम करे। ऐसा करने से मैं नहीं समझता कोई बड़ा झगड़ा खड़ा होने वाला है। निश्चित रूप से जिनको अंग्रेजी में काम चालू रखना है वे अंग्रेजी में चालू रखेंगे और जिनके पास हिन्दी का ज्ञान है वे हिन्दी में काम चालू रखेंगे। इसमें किसी को डर नहीं रहेगा। इससे प्रादेशिक भाषा का स्थान भी उतना ही बढ़ेगा जितना हिन्दी का बढ़ेगा। इसमें किसी को महसूस नहीं होगा कि उसकी प्रादेशिक भाषा को किसी तरह से कुंठित करने की कोशिश की जा रही है। जवाहर लाल नेहरू जी ने भी अपनी पुस्तक 'डिस्कवरी आफ इंडिया' में 'यूनिटी इन डाइवरसिटी' की बात कही है। विविधता में एकता की बात कही है। इससे हमारी नीति बिल्कुल साफ है। इस दृष्टि से मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और मुझे उम्मीद है गृहमन्त्री जी जो यहां बैठे हैं वह ऐसी चीज को जो बहुत अच्छी है उसके सिद्धांत को स्वीकार करेंगे बल्कि इससे एक कदम और आगे बढ़ेंगे।

एक दूसरी बात मैं यू० पी० एस० सी० के बारे में भी कहना चाहता हूं। यह भी इसी के साथ संबंधित है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में कुछ प्रगति हुई है। हिन्दी के बारे में कुछ काम नहीं हुआ है ऐसी बात नहीं है। जहां तक हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं का सम्बन्ध है मैं हिन्दी को प्रादेशिक

[प्रो० रामलाल पारीख]

भाषा के साथ-साथ रखता हूं। इसको अलग नहीं रखता हूं। मैं कहूंगा कि प्रादेशिक भाषाओं को माध्यम से परीक्षा होनी चाहिए। मैं बताना चाहता हूं कि 67 यूनिवर्सिटीज अपनी प्रादेशिक भाषा या हिन्दी में काम करती हैं।

इसलिए यह कहना चाहूंगा कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं में हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को माध्यम रूप में शीघ्र मान्यता दी जाए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक जमाने में यह संकल्प लिया था कि इस देश की सभी भाषाओं को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं में माध्यम बनाया जाए। मैं समझता हूं कि दोनों काम बहुत जल्दी किए जाने चाहिए। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं में भारतीय भाषाओं को माध्यम बनाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए सरकार ने एक कोठारी कमेटी भी बनाई थी। अखबारों से जो कुछ हमें मालूम हुआ है उससे मालूम पड़ता है कि उस कमेटी ने सिफारिश की है कि क्षेत्रीय भाषाओं को भी परीक्षाओं का माध्यम बनाया जाए। इस दृष्टि से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में इस दिशा में कदम उठाने की जरूरत है। स्वराज्य के जमाने से जिस चीज को लेकर हम आगे बढ़े हैं, अगर उस दिशा में हम संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे तो यह एक बहुत अच्छा काम होगा। ये दो छोटी चीजें हैं। मुझे उम्मीद है कि माननीय गृह मन्त्री इनको स्वीकार करेंगे और इस दृष्टि से मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आपसे इस पर बोलने का जो मुझे समय दिया है उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned till 2.30 P.M. today.

The House then adjourned for lunch at seven minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-four minutes past two of the clock. The Vice-Chairman (Shri Lokanath Misra) in the Chair.

श्री खुरशीद आलम खान (दिल्ली): उपसभाध्यक्ष जी, आज जो राजभाषा का बिल पेश किया गया है उससे किसी तरह का इख्तिलाफ करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। यह हिन्दी जबान हमारे मुल्क की ज़बान है, हमारे देश की ज़बान है, हमारी सरकारी ज़बान है। यह हमारी क़ौमी जबान है और इस क़ौमी ज़बान के लिए जो आदर, जो इज्जत, हमारे दिल में है वह किसी से कम नहीं और आज हम सब एक-जबान से इस ज़बान के लिए दुआएं-ख़ैर करते हैं, इसके लिए भलायी चाहते हैं, इसकी बेहतरी चाहते हैं, इसकी तरक्की चाहते हैं। हम हिन्दी के परस्तार हैं, हिन्दी के चाहने वाले हैं, और इसका सबूत हम इससे देने को तैयार हैं कि आज से डेढ़ सदी पहले, आज से ढाई सौ साल पहले, हमने उर्दू का नाम भी हिन्दवी नाम रखा था; उसको भी हम हिन्दवी ही कहते थे। आपको ख़याल होगा, आज कितने ही अरसे से हमारे हिन्दी के दोहे आज भी मशहूर हैं जो रहीम ने कहे थे और दाराशिकोह ने जिस तरह से हिन्दी की सरपरस्ती की थी वह भी त्यागी जी आपको भली-भांति मालूम है। लेकिन जो हम चाहते हैं वह बहुत छोटी सी एक बात हम चाहते हैं—इसमें उर्दू की नाजुक ख़याली पैदा हो, हम चाहते हैं इसमें बंगला का रस आ जाए, हम चाहते हैं इसमें पंजाबी की ज़िन्दादिली आ जाए, और ये सब मिल कर आकाश में जैसे इन्द्रधनुष के सुनहरे रंग फैल जाते हैं उसी तरह से यह हमारे देश में फैल जाए।

श्री इरेंगबम टम्पोक सिंह (मनीपुर): मैं त्यागी जी और श्री ओम मेहता जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे हमारी चिन्ता भी करें। हमारे यहां जो पहाड़ी जबान है, मणिपुर, डोगरी और दूसरी जबानें हैं, उनका भी आप ख्याल रखना और इन भाषाओं को भी आठवें शिड्यूल में रखवायें।

श्री खुरशीद आलम खान : मगर ईश्वर के लिए हम आप से यह प्रार्थना जरूर करेंगे कि त्यागी जी, इसको किसी फिरके और किसी मजहब की जबान न मानिये जबान मुल्क और कौम की सरमाया होती है। जबान एक दौलत है और जिस तरह से इल्म की दौलत बचाये से घटती है और लुटाए से बढ़ती है, उसी सूरत से जबान की जो दौलत है वह बचाव से कटती है, लुटती है और लुटाए से बढ़ती है।

मैं आप से यह अर्ज करना चाहता हूं कि इसको बढ़ाने के लिए आप ऐसा नारा न दीजिये। हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान। इस तरह का नारा इसके लिए कभी भी अच्छा मुफीद और कारामद साबित नहीं होगा। हमें चाहिए कि हम ऐसे मौके पर यह कहें :

> वो हादसात जमाने से महब हो जायें
> कि जिनके जिक्र से इंसानियत को आर आये

इसके बाद मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि जो इंसान अपने ख्वाब और मंसूबों को काममाबी और यकीन के साथ आगे बढ़ाता है, चाहे वह जबान का मामला हो, चाहे कलचर का मामला हो, चाहे किसी तरीके का कौम का मामला हो, कामयाबी उसी की होती है। अगर उस में खुदऐतमादी नहीं है, अगर आपका यकीन नहीं, तो मैं आपको यह अर्ज करना चाहता हूं और बहुत अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि इसकी कामयाबी में देर होगी। जिसके आप और हम सब ख्वाहिशमंद हैं क्योंकि यह सब हमारे कौम का सरमाया है।

इसके अलावा मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि बुलन्द नजरिये कौम के लिये दर्दमन्दी का अन्दाजा सिर्फ इस बात से हो सकता है कि मजहब या जबान जो भी है वह दिल तोड़ने के लिए नहीं होती है बल्कि दिल को जोड़ने के लिए होती है। इससे दिल जोड़े जाते हैं, दिल तोड़ नहीं जाते हैं। मैं यह भी अर्ज करूंगा कि हांलाकि मैं अपने आप को सियासी लीडर नहीं समझता हूं। सियासी लीडर आम तौर पर कल्चर और तालीम के लीडर नहीं हुआ करते हैं। हर अच्छे काम के लिए इंतजार करना पड़ता है और यकीनन जबान को बढ़ाने और जबान को फैलाने का काम अच्छा काम है और बड़ा काम है। लिहाजा इसमें इंतजार करना बेहतर साबित होगा। और थोड़ा सा इंतजार इसके लिए अच्छा साबित होगा। इसके लिए जल्दबाजी करना अच्छा साबित नहीं होगा और जल्दबाजी करना इसके लिए मुफ़ीद साबित नहीं होगा। जबान हमारे जज्बात की तर्जुमानी करती है। यह किस तरह से लिखी जाती है, यह कोई बुनियादी बात नहीं है। आप इसको किस तरह से लिख सकते है। यह आपके और मेरे दिल की बात है और दिल की बात जो है वह आपके दिल में और मेरे दिल में उतरेगी। अगर दिल में उतरेगी तो जो दिल में भेदभाव है वे सब मिट जायेंगे और सब एक ही रंग में रंग जायेंगे।

अच्छे काम का वह इनाम होता है जो दूसरे बगैर कहे हम को दें। इसी तरह से जबान उस वक्त तरक्की कर सकती है जब हम उसे दूसरे के हलक में न उतारें। हमें चाहिए कि खुद जबान में इतना रस भर दें कि दूसरे खुद उसे कबूल करें, दूसरे उसे खुद चाहें, दूसरे उसे खुद अपनायें और जब दूसरे अपनायेंगे तो मुझे यकीन है कि आपको उस चिन्ता की कतई जरूरत नहीं रहेगी जो आज आपको सता रही है।

हिन्दी मेरी जबान है, हमारी सब की जबान है। लेकिन खुदा के लिए इसको वेदों की जबान न मानिये, यह तो प्रेम और मुहब्बत की जबान है जो प्रेम और मुहब्बत की जबान है वह सब को अपनाती है, उसे सब अपनाते हैं और जब सब अपनाते हैं तो सब तरह के भेदभाव मिट जाते हैं। आप यकीन रखिये कौम की तकदीर और तारीख

[श्री खुरशीद आलम खान]

में अब वह मुबारक वक्त आ गया है जिसका हम आप सबको बहुत अरसे से इंतजार था, जिसका इंतजार ही नहीं था जिसकी बड़ी अरसे से जरूरत महसूस की जा रही थी और आज हम उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं, हम ऐसी मंजिल पर खड़े हैं कि आगे बढ़ते हैं तो तरक्की की शाराह खुलती है, अगर पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक तारीकी दौर नजर आता है। आइये पीछे मुड़कर देखना हम भूल जावें। हम आगे बढ़ें और मैं यकीन के साथ कहता हूं कि अगर हम इसी तौर पर आगे बढ़ते रहे तो वे तरक्की की राहें जो आगे की मंजिलों की निशानदेही करती हैं हमारे लिये मुबारक साबित होंगी। और जब मैं हम शब्द इस्तेमाल करता हूं तो त्यागी जी आप सबसे पहले मेरी नजर में होते हैं।

आज हमें हिन्दी या उर्दू और कुरबानी के झटके में नहीं पड़ना है आमतौर पर कौमी जिन्दगी में हमारे सियासी रहनुमा या हमारे मजहबी रहनुमा ऐसे होते हैं जो तारीख के सफ़ों में खोकर रह जाते हैं और तारीख में उसकी तलाश करनी पड़ती है लेकिन आज हमारे देश में एक ऐसी हस्ती मौजूद है जो खुद तारीख बना रही है जिसे हम तारीखसाज हस्ती कहते हैं।

श्री सिकन्दर अली बज्द (महाराष्ट्र) : जुगराफिया भी बना रही है।

श्री खुरशीद आलम खान : यह आपकी समझ में होगा।

श्री सिकन्दर अली बज्द : बढ़ा रही है।

श्री खुरशीद आलम खान : मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस तारीखसाज जमाने में, इतिहास बनाने में हम बराबर शरीक हैं और मैं समझता हूं कि हम सब की खुश-नसीबी है कि इस वक्त हम भी अपना हिस्सा, अपना पार्ट अदा कर रहे हैं। अगर हम इसमें पूरी हिम्मत, पूरे खुलूस, पूरी मुहब्बत के साथ अपना फर्ज पूरा करेंगे तो तारीख हमेशा हमारे नाम को रोशन रखेगी और आने वाली नस्लें यह फक्र के साथ कहेंगी कि हमारे बुजुर्गों ने छोटे छोटे झगड़ों में न पड़कर मुल्क की बड़ी समस्याओं को हल करके इस मुल्क को जन्नतनिशान बना कर विरसे में हमारे लिये छोड़ा है।

मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि उम्मीद और उलफत का वह सूरज जो गहन में आ गया था वह आज बाहर निकल रहा है, जो काले बादलों में छुप चुका था वह बादलों से बाहर निकल रहा है। आज मुल्क-कौम और समाज पर नई रोशनी पड़ रही है। नई रोशनी में गर्मी भी है और गुदास भी है और जब इस माहोल में हम और आप चल रहे हैं तो मुझे कोई शुबहा नहीं कि इस छोटी सी बात का जो हमारे दिलों को आज भी खतरा महसूस होता है कि हमारी जबान का क्या होगा, वह हमें महसूस नहीं करना चाहिए। मैं अर्ज कर दूं कि हमारी कौमी जिन्दगी में 25 या 30 साल कोई बहुत ज्यादा लम्बा अर्सा नहीं होता। इंसान की जिन्दगी में तो 25-30 साल बड़ा अर्सा होता है लेकिन कौमी जिन्दगी में बड़ा अर्सा नहीं होता। इस अर्से में हमने अपनी कौमी जुबान के लिए जो कुछ हासिल किया है, जो कुछ उसमें तरक्की की है उसके लिए मायूस होने की कोई वजह नहीं पाई जाती। हमें मायूस होने की कोई वजह नहीं है और मैं उम्मीद करता हूं कि हम आइन्दा इससे भी ज्यादा कुछ कर सकेंगे।

अब मैं एक बात जरूर बहुत अदब से कहना चाहता हूं। हमारे नेता खास तौर से उस तरफ के हमारे त्यागी जी गांधी जी की बहुत दुहाई देते हैं। काफी दुहाई देते हैं और मैं समझता हूं कि गांधी जी के जो अहसानात मुल्क और कौम पर हैं वह न हम भुला सकते हैं और न आप भुला सकते हैं। वह अहसानात न आने वाली नस्ल भुला सकेगी, बल्कि आने वाली नस्लें हम से ज्यादा फक्र और अहतराम के साथ खासद

उन को याद रखेंगी। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि गांधी जी ने उम्र भर हिन्दुस्तानी नाम की जबान के लिए क्या क्या नहीं किया। उन्होंने हिन्दुस्तानी जुबान के लिए हर तरह से कोशिश की। उन्होंने उस के लिए हिन्दुस्तानी तालीमी संघ बनाया और उस के लिए उन्होंने हिन्दुस्तान में हिन्दुस्तानी को बढ़ाने के लिए हर तरह की कोशिश की। आप को याद होगा कि उन्होंने वर्धा में कैसी कैसी कांफरेंसेज बुलाई और क्या क्या नहीं किया। लेकिन मुझे ताज्जुब यह होता है कि गांधी जी की दुहाई देने के बाद हम यह क्यों भूल जाते हैं कि गांधी जी की एक यह भी इच्छा थी, एक यह भी ख्वाहिश थी कि हमारी एक हिन्दुस्तानी जुबान बने। मैं चाहता हूं कि एक ऐसी जुबान बने जो आम लोगों की जुबान हो, जो जनता की जुबान हो, वरना होगा यह कि जैसे मुगलों के जमाने में फारसी हुकूमत की और दरबार की जुबान बन गयी थी और अंग्रेजी के जमाने में हम यह इल्जाम लगाते हैं अंग्रेजी थोड़े से लोगों की जुबान थी, तो ऐसा न हो कि हम अपनी कौमी जुबान को भी उसी में जोड़ दें और उस की भी वही कैफियत हो जाए। जो जुबान हम पेश करना चाहते हैं वह ऐसी होनी चाहिए कि जिस को हमारे तमाम लोग समझ सकें खास तौर पर 70 फीसदी लोग जो कि गांवों में रहते हैं। वह उन की जुबान बन सके और उन को भा सके। जिस तरह से कोई बच्चा जब पैदा होता है तो उस की कोई जुबान नहीं होती। वह जुबान तो अपने माहौल से, अपने वातावरण से सीखता है, इसी सूरत से मैं आप को याद दिलाना चाहता हूं कि हमारी हिन्दी जुबान, जैसा कि मैंने अर्ज किया, उस में हम हर तरह का रस घोल दें। ऐसा होने पर उस को बहुत से लोग ऐसे अपनायेंगे जैसे कि बच्चा अपने मां बाप की जुबान को अपनाता है। उस में कोई सख्ती की जरूरत ही न होगी। उसमें कोई दबाव की जरूरत ही न हो, जब्र की जरूरत ही न हो और न किसी तरह की बनावट की जरूरत हो।

मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं कि अगर हिन्दी पर कोई वक्त पड़े तो यह हमारा फर्ज हो जाता है कि हम सब एक आवाज से हिन्दी के लिए खड़े हो जायें। साथ ही मैं यह भी चाहूंगा कि अगर और दूसरी किसी जुबान पर त्यागी जी, मैं आप की तवज्जेह दिलाऊंगा कि अगर उर्दू पर कभी कभी कोई वक्त आ पड़े तो सब से पहले आप को उस का साथ देना चाहिए और अगर यह हमने और आपने किया तो मैं आप को यकीन दिलाता हूं कि हमारे मुल्क में एक ऐसी फिजां पैदा होगी एक ऐसा वातावरण पैदा होगा जिस में हर तरह के भेद भाव मिट जायेंगे और एक नया माहौल और एक नयी फिजां में हम एक नयी चीज पैदा करेंगे और वह होगा आपसी प्रेम, मुहब्बत और आपस के ताल्लुकात।

हिन्दी, जैसा कि मैंने कहा, हमारी जुबान है। आप की जुबान है। उस में हमारी मिली जुली तहजीब की तर्जुमानी होनी चाहिए, यह हमारी सभ्यता की तर्जुमानी करे। ऐसा न हो कि कोई यह कह सके कि यह हमारी जुबान है लेकिन यह हमारी सही तर्जुमानी नहीं करती। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ताजमहल और अजन्ता की गुफाओं में, दोनों में से एक हिन्दुस्तानी है, या दोनों हिन्दुस्तानी हैं? आप दोनों को प्यार करते हैं या एक को प्यार करते हैं। आप एक का आदर करेंगे या दोनों का। इसलिए मेहरबानी कर के आप एक ऐसी फिजां पैदा कीजिए त्यागी जी कि आइन्दा जब आप तकरीर करें तो आप ऐसी तकरीर करें कि जिस में दोनों के अल्फाज मिले हुए हों।

अगर ऐसा नहीं किया तो मैं आपसे कहता हूं कि वह हिन्दी का दोस्त नहीं है। हिन्दी की भलाई चाहने वाले नहीं हैं। हम हिन्दी

[श्री खुरशीद आलम खान]

के परस्तार हैं इसीलिए हम आपसे दरख्वास्त करते हैं।

साथ-साथ मैं एक बात और अर्ज करना चाहूंगा। हम चाहते हैं कि हिन्दी और उर्दू मिलकर एक ऐसी भाषा बने जिस तरह गंगा-यमुना दोनों इलाहाबाद में पहुंच कर मिलकर बहती हैं और उसके बाद यह फर्क करना मुश्किल हो जाता है कि गंगा का पानी कौन-सा है और यमुना का पानी कौन-सा है। मैं यह भी अर्ज कर दूं कि हमें किसी भी जुबान के लिए, चाहे वह हिन्दी हो, उर्दू हो या और कोई भाषा हो, इतना जोश खरोश नहीं दिखाना चाहिए जैसे कि बरसाती नाले होते हैं जब पानी पड़ता है तो देखते-देखते चढ़ जाते हैं लेकिन आनन-फानन में उतर जाते हैं। हमें गंगा दरिया की तरह से होना चाहिए जिसमें इतना बड़प्पन है कि वह बरसात में तूफान को बहा ले जाती है और गर्मियों में पहाड़ की बर्फ को पिघला कर पानी हासिल कर लेती है। अगर ऐसा होगा तो एक नई फिजा बनती जाएगी, एक नया वातावरण बनता जाएगा।

मैं गालिबन अपना मतलब पूरा अदा कर चुका हूं एक बात और अर्ज करना चाहूंगा। अभी थोड़े दिन हुए यह कहा गया था कि एक हिन्दी यूनिवर्सिटी वर्धा में बनाई जाए और वह गांधी जी के आश्रम में बनाई जाए। मुझे हिन्दी यूनिवर्सिटी के बनाने से कोई इख्तिलाफ नहीं है। मैं दिल से चाहता हूं कि बनाई जाए। एक नहीं दो बनाई जाए। शुमाली हिन्द में बनाई जाए, दक्षिण में बनाई जाए। मेरी अर्ज है कि गांधी जी का आश्रम वह है जहां गांधी जी ने पूरी जिन्दगी भर तालीम दी है हिन्दुस्तानी जुबान में। क्या ऐसी जगह पर हिन्दी यूनिवर्सिटी बना कर कोई अच्छा काम करेंगे? अगर हम हिन्दी यूनिवर्सिटी बना कर अच्छा काम करना चाहते हैं तो ऐसा अच्छा काम करें। जिसको सब अच्छा कहें। ऐसा न हो कि कोई यह कहे कि हमने गांधी जी की इच्छानुसार यह काम नहीं किया। हमने गांधी जी के उसूलों के मुताबिक यह काम नहीं किया। हम को गांधी जी के असूल प्यारे हैं। हम गांधी जी के उसूलों को जिन्दा रखना चाहते हैं। हम गांधी जी के उसूलों को अपनाना चाहते हैं। इसमें आइये हम सब मिल कर हाथ लगाएं। ऐसा न हो कि आगे चल कर आने वाली नस्लें हम को यह इल्जाम दें कि हमने गांधी जी के उसूलों को कत्ल किया। हमने गांधी जी के उसूलों को मिटा दिया। हमने गांधी जी के उसूलों को छोड़ दिया। हम गांधी जी के बताए हुए रास्ते से हट कर दूसरे रास्ते पर जा भटके। मैं समझता हूं हम में से कोई इतना बड़ा इल्जाम लेने को तैयार नहीं होगा। यह इतना बड़ा इल्जाम है जिसके लिए हमें तैयार भी नहीं होना चाहिए।

(Time bell rings)

अध्यक्ष जी, मैं खत्म कर रहा हूं। सिर्फ एक बात यह कहना चाहता हूं त्यागी जी को मुखातिब करते हुए कि जिस बात को मैंने अर्ज किया है दिल की आवाज है।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : वह दिल की आवाज मेरे तक पहुंचनी चाहिए।

श्री खुरशीद आलम खान : मुझे यकीन है आपके दिल तक जरूर पहुंचेगी। दिल जरूर है।

श्री ओम मेहता : यह आपने कैसे जाना कि उनके पास दिल है।

श्री खुरशीद आलम खान : दिल जरूर है चाहे वह पत्थर का ही हो। मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं। सिर्फ आखिर में उर्दू में एक शेर पढ़ूंगा :

तेरी दुआ है कि हो तेरी आरजू पूरी,
मेरी दुआ है कि तेरी आरजू बदल जाए।

श्री विश्वम्भर नाथ पांडे (नाम-निर्देशित) : मान्यवर, चेयरमैन साहब, आदरणीय प्रस्तावक महोदय ने प्रस्ताव पेश करते हुए दो बातें कहीं जो मेरे दिल को

खटकी । पहली बात तो उन्होंने यह कही कि इस मुल्क में कभी राष्ट्रीय एकता नहीं थी और दूसरी बात उन्होंने यह कही कि इस देश में कभी राष्ट्रभाषा नहीं थी। इतिहास के एक बहुत विनम्र विद्यार्थी की हैसियत से मैं अर्ज करना चाहूंगा कि · · ·

इस देश में राष्ट्रीय एकता की भावना ठेठ वैदिक काल से चली आ रही है । अथर्व वेद के पृथ्वी सूत्र में शिष्य ऋषि से पूछता है कि इस देश की भूमि कैसी है, और ऋषि जवाब देते हैं कि इस देश की भूमि ऐसी है जिसमें नाना जातियां, नाना धर्म, नाना वर्ण और नाना वर्चस अर्थात् नाना भाषायें हैं । इस देश की भूमि ऐसी है जिसमें तरह तरह के धर्म हैं, तरह तरह के वर्ण हैं और यहां पर तरह तरह की भाषायें बोली जाती हैं । तब शिष्य हैरान होकर पूछता है कि इतनी विविधता के होते हुए इस देश में एकता कैसे होगी? ऋषि इसका जवाब देते हैं कि अगर एक सिद्धान्त सब लोग मान लें तो इस देश में स्थायी शांति व एकता रहेगी । शिष्य ने पूछा कि वह कौन-सा सिद्धान्त है ? ऋषि ने उत्तर दिया कि वह सिद्धान्त यह है कि अगर हम लोग माता भूमिः पुत्रोऽहम पृथिव्याः अर्थात् यह भूमि माता है और हम इसके पुत्र हैं । यह हमारी मादरे वतन है और हम इसकी औलाद हैं । अगर इस प्रकार की भावना इस देश में आ जाएगी तो फिर कहीं कोई विविधता की बात नहीं रहेगी ।

मान्यवर, अथर्व-वेद के बाद ऋषि विश्वामित्र ने इस देश के 56 कबीलों (ट्राइब्ज) को मिलाकर एक भारत जाति का संगठन किया । महाभारत, पद्म पुराण, भागवत पुराण आदि ग्रन्थों में उनके नाम आए हुए हैं । उन 56 जातियों को मिलाकर के इस देश में एक महान जाति का उन्होंने गठन किया । कुछ लोगों ने उनका विरोध किया और खासतौर पर पुराने ट्रेडिशनल (परम्परावादी) लोगों ने विशेष रूप से विशिष्ट मुनि ने उनका विरोध किया । लेकिन विश्वामित्र अपनी बात पर अडिग रहे और उन्होंने इस देश के रहने वालों को एक सूत्र में बांध कर एक किया । तो मान्यवर अथर्व वेद में यही मातृभूमि की एकता का सिद्धान्त है और इसी अर्थ में सब ने इसको स्वीकार किया है । इसलिए यह कहना कि इस देश में राष्ट्रीय एकता की भावना नहीं रही, यह इतिहास को झुठलाना है, धर्म को झुठलाना है, उपनिषदों को झुठलाना है, वेदों को झुठलाना है और इस देश की संस्कृति और सभ्यता को झुठलाना है ।

मान्यवर, दूसरी बात यह उठाई गई कि इस देश में कभी भी एक राष्ट्र भाषा नहीं रही है । आप पुराने आलेखों को देखें मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अशोक के वक्त में कोई राष्ट्र भाषा नहीं थी ? क्या अशोक से पहले भगवान बुद्ध के वक्त में कोई राष्ट्र भाषा नहीं थी ? उन्होंने जो उपदेश दिये थे वे सब एक भाषा और एक लिपि में दिये थे और वह लिपि ब्राह्मी लिपि थी । अगर आप फ्रन्टियर से लेकर बंगाल तक और काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाकर देखें तो वहां भी आपको अशोक के शिला लेख मिलेंगे वे सब ब्राह्मी लिपि में हैं । अगर आप काश्मीर में जा कर देखें तो आपको ब्राह्मीलिपि में ये शिला लेख मिलेंगे । यदि आप पुरुषपुर, जिसका नया नाम पेशावर है, वहां जाकर देखें तो यही ब्राह्मी लिपि मिलेगी । मैंने स्वयं तक्षशिला में जाकर देखा कि वहां पर अशोक के सब शिलालेख ब्राह्मी लिपि में हैं । यही भाषा आगे चलती रही और समय के साथ बदल कर यह भाषा अपभ्रंश भाषा कहलाई और कालान्तर में पाली लोक भाषा बनी । इस भाषा ने हर क्षेत्र में कब्जा किया और वह सारे देश में प्रचलित हुई । कालीदास के समय में संस्कृत भाषा जनता की भाषा बनी और सारे आलेख और राज्यादेश इसी भाषा में प्रचारित किये गये । मान्यवर, जब यहां पर इस्लाम आया, इस्लामी कौमें आई, हमलावर आए, आक्रमणकारी आए तो

[श्री विश्वम्भर नाथ पांडे]

उन्होंने भी इस देश को अपना बनाया और वहीं इस देश में वे बस गये। इस देश के बाहर किसी अन्य देश को उन्होंने अपना वतन नहीं माना। इसी देश को उन्होंने अपना घर माना और इसी को अपना वतन माना। इसी देश की मिट्टी में वे बड़े हुए, फले-फूले और इसी देश की भूमि में दफन हुए। जब उनके सामने यह प्रश्न आया कि इस देश की राष्ट्र भाषा कौन हो, तो उन्होंने इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। फिरोजशाह के वक्त में यह सवाल उठा कि क्या फारसी इस देश की राष्ट्रभाषा हो सकती है? कौन लोग इस भाषा को सीखेंगे? उस वक्त ब्राह्मणों ने कहा कि हमारे पास तो समय ही नहीं है और हमें तो पूजा-पाठ और पुरोहित के काम से ही समय नहीं मिलता

3 P.M. है। तब कायस्थ सामने आए, कायस्थों ने कहा : बेशक हम फारसी भाषा और लिपि सीखेंगे और फारसी लिपि उन्होंने सीखी। उसे उन्होंने बहुत जल्दी अपना लिया।

मान्यवर, अब तक पारसनीस के संग्रहालय में, शिवाजी के बहुत से पत्र मौजूद हैं जो उन्होंने औरंगजेब को लिखे, माहराजा जयसिंह को लिखे वे पत्र सब फारसी में हैं। गुरु गोबिंद सिंह का जो मशहूर पत्र है औरंगजेब के नाम, उसकी भाषा भी फारसी है। हिन्दू राजाओं और पेशवाओं के दरबार की भाषा फारसी थी, जितने मराठे राजे थे उनकी भाषा भी फारसी थी। तो राजभाषा के पद पर एक भाषा आसीन हुई। आप कहें कि आप फारसी को नापंसद करते हैं लेकिन यह कहना कि कोई राजभाषा नहीं थी, ग़लत है; इतिहास इसका समर्थन नहीं करता।

मान्यवर महोदय, उसके बाद अंगरेज आए। आज हिंदी का प्रश्न आया, तो हिंदी का कौन समर्थक नहीं है। मान्यवर, हिंदी के विनम्र विद्यार्थी की हैसियत से 1924 में गांधी जी ने मुझे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को हिंदी सिखाने के लिए, उनका हिंदी शिक्षक बना कर भेजा। मैं उनके होम टाऊन सेलेम में गया उन्हें अंगरेजी के माध्यम से हिंदी सिखाने के लिए। बहुत मुशिकिल विद्यार्थी थे वे। मैं उनसे कहता था अंगरेजी के माध्यम से—"ही हैज कम,' वह आ गया। तो बहुत परेशान होते। "ही हैज कम एण्ड ही हैज गोन—वह आया और चला गया? जब मैं जेंडर की मिसालें देता था कि दाढ़ी और मूंछ, दोनों स्त्रीलिंग हैं, तो कहने लगते यह पुरुषों के चेहरे के आभूषण हैं, ये दाढ़ी और मूंछ स्त्रीलिंग हो गए तो पुलिंग क्या रह गया?

(*Interruption*)

मान्यवर महोदय, आज हमें देखना है, भाषा के प्रश्न ने इस देश को कहां से कहां ले जाकर पहुंचा दिया? भाषा का विषय बड़ा नाजुक विषय है, जो दिल को छूता है। उधर दूर असम में क्या हुआ? 10 वर्ष पहले 300 घरों को आग लगा दी गई, छोटे-छोटे बच्चों को कत्ल कर दिया गया इसलिए कि वे बंगला पढ़ते थे। बंगला पढ़ने वालों को, बोलने वालों की क्या असम में रहने की जगह नहीं है? लेकिन भाषा का प्रश्न बड़ा जबर्दस्त प्रश्न था। भाषा के प्रश्न से आर्थिक प्रश्न जुड़ा हुआ था, इसीलिए भाषा कटु बन गई। आख़िर शिवसैनिकों ने क्या किया? दूसरे भाषाभाषी, मलयालम और तमिल भाषा बोलने वालों को बम्बई में नहीं रहना होगा, वे महाराष्ट्र में नहीं रहेंगे। एक दिन अचानक उठ कर उनके होटलों को आग लगा दी जाती है, उनके पेट्रोल पम्प जला दिए जाते हैं, उनकी दुकानें लूट ली जाती हैं। मैंने बेलगाम में देखा, इतनी कटुता है कन्नड़ बोलने वालों में और मराठी बोलने वालों में। यहीं नहीं, मलयालम बोलने वालों में और कन्नड़ बोलने वालों में क्षेत्र के प्रश्न को लेकर कटुता है। गोवा में मराठी और कोंकनी को लेकर एक जबर्दस्त कटुता आ रही है। यह तो एक ज्वालामुखी है, विस्फोटक प्रश्न है, विस्फोटक स्थिति में ज़रा सी दियासलाई लगा देने से जबर्दस्त आग पैदा हो

सकती है जिसमें हमारी जो कल्पना है इस देश की एक राष्ट्रीयता की वह कल्पना भंग होने लगती है, उसमें आग लग जाती है, वह भस्म होने लगती है। आप यह कह सकते हैं, इल्जाम लगा सकते हैं कि कांग्रेस ने, 25 वर्ष हो गए, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए था वह नहीं किया। 15 वर्ष के भीतर हिंदी को आसीन करने का जो वादा किया था उसको पूरा नहीं किया? लेकिन चूंकि जिन लोगों को देश की हुकूमत चलानी पड़ती है, देश का शासन चलाना पड़ता है, उनको बहुत नाजुक स्थितियों से गुजरना पड़ता है; वे जानते हैं भाषा का क्या मतलब है, और भाषा को लेकर जो जोड़ने वाली चीज है, मिलाने वाली चीज है, अगर इस देश के रहने वाले उस जोड़ने और मिलाने वाली चीज को एक लड़ने वाली चीज बना दें, नफरत पैदा करने वाली चीज बना दें, तो जिनके ऊपर शासन की जिम्मेदारी है, क्या उनका यह फर्ज नहीं है कि इसको नफ़रत पैदा करने वाली चीज न बनने दें?

माननीय महोदय, दूसरी चीज जो हमारे सामने है, जैसा मैं कह रहा था—राजा जी ने सैकड़ों आदमियों को गिरफ्तार किया, जब वे मद्रास के चीफ मिनिस्टर थे क्योंकि वे लोग हिंदी का विरोध कर रहे थे। क्या सीख उन्होंने उन लोगों को दी? मद्रास के ट्रिप्लिकेन बीच में उन्होंने भाषण देते हुए कहा, तमिल वालों को समझाते हुए कहा, कि भाई, तमिल तो इस प्रदेश की गृह-स्वामिनी है. . . तमिल तो राज-महिषी की तरह है। जिस तरह घर की मालकिन बैठती है, उसी तरह से तमिल यहां पर सिंहासन पर बैठी हुई है। हमें बाजार से सौदा या फल लाने के लिए कोई चाकर चाहिये, तो हिन्दी इसके लिए तत्पर है। हिन्दी को बाजार भेजिये, दही लाने के लिए या कोई और चीजें लाने के लिए, बराबर उसको भेजिये और वह बाजार में सारे काम करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए तामिल वालों को क्या एतराज है, अगर कोई मुफ्त में काम करने के लिए मिल जाता है?" लेकिन हिन्दी-वालों ने राजाजी के साथ क्या सुलूक किया? राजाजी के बयान पर सख्त एतराज किया गया कि क्योंकि उन्होंने आपने हिन्दी को दासी का रूप दे दिया हिन्दी तो राज-महिषी है उसको दासी का बाना पहिना दिया है। इस तरह के विरोध के तार और पत्र हजारों की संख्या में राजाजी के पास पहुंचे।

अगर इस देश के रहने वाले भाषा के मर्म को नहीं समझते और भाषा के अन्तर प्रान्तीय प्रश्न को, नहीं समझते और उसको नजर-अन्दाज करना चाहते हैं तो फिर कैसे इस देश में भाषाई एकता कायम रह सकती है?

दूसरी तरफ हमारे सामने जो प्रश्न आता है वह टैक्नीकल सवाल है। आप इस सवाल को जरा गौर से देखें। टैक्नीकल सवाल यह है कि हिन्दी का अभी तक मानकीकरण नहीं हुआ है। क्यों नहीं यह मानकीकरण हो पाया इसका कारण यह है कि विविध प्रान्तों में एक ही शब्द विविध अर्थ में बोला जाता है। हमने "योजना" शब्द प्रचलित किया अपनी पंचवर्षीय योजना के लिए, लेकिन बंगाल, आसाम, उड़ीसा ने इस शब्द को मानने से इंकार कर दिया। उन्होंने इसके बदले में "परिकल्पना' शब्द दिया है। परिकल्पना के अर्थ में इमैजिनेशन आता है, इस तरह की बात कहते हैं। प्लान का मतलब योजना नहीं होता है योजना तो स्कीम हो सकती है, लेकिन योजना प्लानिंग नहीं हो सकती है।

(Interruption)

श्री भैरव चन्द्र महन्ती (उड़ीसा): उड़ीसा ने योजना शब्द ले लिया है।

श्री विश्वम्भर नाथ पांडे: फर्ज कीजिये, जैसा आप कहते हैं कि आपने यह शब्द स्वीकार कर लिया है, लेकिन बंगाल वालों ने स्वीकार नहीं किया। (*Interruption*) जो बात मैं कह रहा हूं वह बात यह है कि अगर आप इस तरह से देखेंगे तो रिसर्च शब्द के लिए हमने हिन्दी में "अनुसंधान" शब्द रखा है,

[श्री विश्वम्भर नाथ पांडे]

लेकिन गुजराती में यह शब्द इस्तेमाल होता है "संशोधन" के लिए और "संशोधन" का अर्थ होता है, तरमीम । अगर हम हिन्दी में आरग्यूमेंट के लिए "दलील" शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो बंगला में "डोक्यूमेंट" के लिए "दलील" शब्द को इस्तेमाल किया जाता है । हिन्दी में "चेष्टा" का अर्थ होता है "प्रयत्न", लेकिन मराठी में इसका अर्थ "मजाक" या "दिल्लगी" होता है । हिन्दी में 'राजीनामा" शब्द सुलह के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन मराठी में यह शब्द रेजिनेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, त्याग-पत्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता है । हम "विलम्ब" "लेट" के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तेलगू में यह शब्द "प्रमाद" और आलस्य के लिए इस्तेमाल होता है । हम "भाषण" शब्द को लैक्चर के अर्थ में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तमिल में भाषण के लिये "उपन्यायम" इस्तेमाल किया जाता है । आज हिन्दी के मानकीकरण की बहुत आवश्यकता है । इसका किस तरह से मानकीकरण होगा ? जब तक हिन्दी का मानकीकरण नहीं होगा तब तक वह देश के विविध प्रान्तों में कैसे स्वीकृत होगी ? इस दिशा में काफी प्रयत्न हुए हैं और इसके लिए सरकार भी सचेष्ट है ।

कैफियत यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह निश्चय किया कि उसके कतिपय जज अपने जजमेंट हिन्दी में ही देंगे, नागरी लिपि में देंगे । हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने एक 'विधि पत्रिका' निकाली लेकिन उसको ट्रान्सलेटर नहीं मिल सके । नतीजा यह हुआ कि तीन, चार इश्यू के बाद हिन्दी साहित्य सम्मेलन को अपनी विधि पत्रिका बन्द करनी पड़ी । इस तरह से हमारे सामने मानकीकरण के अभाव में अनुवाद की टैक्नीकल कठिनाइयां हैं । आप वैसे भी देखेंगे—कि इंग्लैंड में अंग्रेजी को उन्नीसवी सदी के आखिर में राजभाषा का रुतबा मिला । रूस में बीसवी सदी के शुरू में जब अक्टूबर-क्रान्ति हुई तब भी वहां रशियन सारे देश की सम्पर्क भाषा नहीं बन सकी । वह केवल पटिक्युलर स्टेट की राज भाषा थी । लेकिन उस भाषा को इतना उन्नत किया गया, इतना बढ़ावा दिया गया, इतना ऊंचा उठाया गया कि वह सारे सोवियत रूस की भाषा के रूप में माने जाने लगी और रूसी लोग पढ़ना अपने लिए फख्र समझने लगे ।

तो प्रश्न यह है कि भाषा किसी के ऊपर लादी नहीं जा सकती । पाणिनि के पास कुछ लोग गये उनसे कहा कि आप हमें एक अच्छी भाषा बनाकर दीजिये । पाणिनि ने उत्तर दिया कि हम भाषा बनाने का काम नहीं करते, भाषा जनता बनाती है । हम तो जनता में जो प्रचलित भाषा है उसको स्वरूप दे सकते हैं, उसको व्याकरण की दृष्टि से ठीक कर सकते हैं, अगर इस तरह से भाषा बनाओगे तो वह पुस्तकों में बंद पड़ी रहेगी, वह लायब्रेरी में बन्द पड़ी रहेगी वह जनता की भाषा के रूप में प्रचलित नहीं हो सकेगी ।

हमने यही गलती की । हमने पाणिनि का जो सिद्धान्त था उसके, विरुद्ध ऐसी हिन्दी बनाने की चेष्टा की ऐसी हिन्दी प्रचलित करने की चेष्टा की जो जनता में प्रचलित नहीं थी, जनता को स्वीकार नहीं थी और इसी लिए यह कृत्रिम हिन्दी सारे देश के बोलने वालों को स्वीकार नहीं हुई, हिन्दी जनता की भाषा नहीं बन सकी, नई गढ़ी हुई हिन्दी क्लासेज की भाषा बनकर रह गई, मासेस की भाषा नहीं बन सकी । आज पढ़े, लिखे लोग जिन्होंने बी० ए० में हिन्दी विषय लिया है पूछते हैं कि अमुक शब्द का अर्थ क्या हुआ ? हाल में तमिलनाडु में बराबर यह कोशिश रही कि तमिल में जितने संस्कृत के शब्द हैं, वे निकाल दिये जाएं । उन्होंने सिंहल की तमिल को आदर्श माना और कहा कि सिंहल की तमिल हमारे लिये आदर्श है । उन्होंने संस्कृत का शब्द 'जल' नहीं रखा, 'नीर' रखा क्योंकि नीर पुराना शब्द है, मलियाली शब्द है ।

महोदय, आज स्थिति यह है कि जहां तक भाषा तत्व, भाषा विज्ञान का संबंध है, यह समझा जाता है कि शब्दों का जो रूप आज दिखाई देता है वह मालूम नहीं कितनी यात्रायें करके पहुंचा है। एक छोटा सा उदाहरण बताऊं। अंग्रेजी का शब्द rice देखिये। डिक्शनरी मीनिंग देखने पर मालूम होता है कि मूल तमिल में उसका रूप था व्रीहि:। जब अलेक्जेंडर यहां आया तो उसको यह खाद्य बहुत पसंद आया और वह कमोडिटी चावल अपने साथ ले गया। जब वहां यह शब्द पहुंचा तो उनके अपने कायदे के मुताबिक हो गया vrize जब पूर्वी यूरोप में यह शब्द पहुंचा तो हो गया vrice जब फ्रांस में पहुंचा तो हो गया ries और उसके बाद जब इग्लैंड पहुंचा तो हो गया rice। राइस (rice) सैकड़ों वर्ष की यात्रा करने के बाद जब भारत आया तो हम पहचान नहीं सके, हमें वह विदेशी मालूम हुआ। हमने यह नहीं जाना कि कितनी यात्रा करने के बाद वह यहां वापस पहुंचा था।

मान्यवर महोदय, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुझे कोई एतराज होता अगर माननीय सदस्य संविधान में संशोधन करने की बात इस रूप में पेश न करते। अगर रेजोल्यूशन की शक्ल में यह बात होती तो बेशक मैं इसकी ताईद कर सकता था लेकिन इस संशोधन विधेयक से मैं सहमत नहीं हो सकता। संविधान की धारा 348 में अंकित है कि 'बाई लेजिस्लेशन' हम फैसला कर सकते हैं कि उच्च न्यायालय की भाषा क्या होगी, सुप्रीम कोर्ट की भाषा क्या होगी ? यह विधेयक जिस रूप में आया है उससे यह असर पड़ेगा कि संविधान की जो मंशा है, संविधान की धारा की जो मंशा है वह बिल्कुल खत्म हो जायेगी। इसलिये अगर प्रस्तावक महोदय इसे प्रस्ताव के रूप में पेश करते, संविधान संशोधन विधेयक के रूप में नहीं, तो मैं इसका समर्थन कर सकता। संविधान संशोधन के तो बहुत से मौके थे। अभी स्वर्णसिंह जी की कमेटी बनी उसके सामने ये मेमोरेन्डम भेज सकते थे, उनसे कह सकते थे कि पूरे संविधान संशोधन को दृष्टि में रखते हुए यह संशोधन भी किया जाय लेकिन अलग तौर पर संशोधन करने की बात से मैं सहमत नहीं हूं। आखिर आपकी नीयत क्या है, आप चाहते क्या हैं ? क्या पोलिटिकल स्टंड के रूप में आप इसे पेश कर रहे हैं ? या और किसी रूप में पेश कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आखिर आप ? तो प्रश्न पर पूरी तरह से गौर करने के बाद मैं अपने लिये मुश्किल पा रहा हूं कि इस प्रस्ताव का समर्थन कर सकूं और इस दृष्टि से मैं आप के इस विधेयक का विरोध करता हूं।

पो० रामलाल परीख : श्रीमन् इस बात को नोट कर लिया जाय कि यह विधेयक 1972 का है।

श्री श्रीकान्त वर्मा (मध्य प्रदेश) : मैं ने आज सबेरे से ले कर अब तक जितने भी भाषण इस सदन में दिये गये उन को बहुत गौर से सुना और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भाषा संसद् में विधेयक पास करने से नहीं बनती और न भाषा सरकारी कारखानों में बनती या बिगड़ती है। बिगड़ जरूर सकती है, लेकिन बन नहीं सकती। सवाल यह है कि भाषा को बनाने वाले लोग कौन हैं ? हिन्दी भाषा को उस के आदि रूप में कबीर ने बनाया, तुलसीदास ने बनाया, जायसी ने बनाया, रहीम ने बनाया, रसखान ने बनाया। उन में से ज्यादातर लोग मुसलमान थे। चाहते तो वे फारसी में लिख सकते थे, फारसी के आलिम फाजिल थे, लेकिन उन्होंने यहां की जुबान में लिखना पसंद किया और अपने खून से उस को लिखा। आज जो लोग हिन्दी का समर्थन कर रहे हैं उन में हर तरह के लोग हैं। लेकिन जो बहुत जोर शोर से उस का समर्थन कर रहे हैं उन के बारे में मेरा यह निश्चित मत है कि वे हिन्दी के लिये खून बहाने को भले ही तैयार हों, लेकिन हिन्दी को बनाने में उन का बहुत महत्वपूर्ण योग नहीं रहा है। आधुनिक हिन्दी को भी जिस

[श्री श्रीकान्त वर्मा]

लोगों ने बनाया वे लेखक हैं और साहित्यकार हैं और चुपचाप छोटे छोटे कस्बों में और शहरों में रह कर उन्होंने हिन्दी भाषा में रचना की और रचना करते हुए मर गये और उन को कोई याद भी नहीं करता। लेकिन पिछले 20 साल में हिन्दी भाषा एक रोजगार के रूप में उभर कर आयी है और बहुत से लोगों को इस में न्यस्त स्वार्थ पैदा हो गया है। वे हिन्दी के नाम पर एक आन्दोलन को बराबर बरकरार रखना चाहते हैं और यह आन्दोलन दरअसल भाषा का आंदोलन नहीं है। उस के पीछे कोई दूसरे मुद्दे हैं। राजनीति के मुद्दे हैं और धर्म के सवाल हैं, संप्रदाय के सवाल हैं। फिलहाल मैं उस में जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन यह जरूर है कि हिन्दी भाषा और हिन्दी भाषा भाषी तब तक दूसरों के लिये विश्वसनीय नहीं बनते जब तक कि वे हिन्दी को सच्चे अर्थों में धर्म निरपेक्ष भाषा नहीं बनाते। मैं हिन्दी का एक छोटा सा लेखक हूं और पत्रकार भी हूं। मैं जानता हूं कि हिन्दी की स्थिति और दूसरी भाषाओं के लोगों से भी मिलता हूं---और मैं खुद भी कह सकता हूं कि हिन्दी आज एक विश्वसनीय भाषा नहीं बनी है। हिन्दी पर विश्वास कर सकना कठिन है। हिन्दी से मेरा मतलब है वे लोग जो कि इस का जोर शोर से समर्थन कर रहे हैं। कम से कम मैं उन पर यह विश्वास नहीं कर सकता कि उन की नीयत साफ है। वे हिन्दी के जरिये दूसरी भाषाओं के लोगों को दबाना चाहते हैं। करीब सात साल पहले मैंने यहां दिल्ली में उर्दू के समर्थन में, मैं उर्दू का विद्वान नहीं हूं, लेकिन मेरे मन में यह भावना पैदा हुई कि ये दोनों यहीं की सहायक भाषायें हैं और इस लिये मैं ने उर्दू को दूसरी भाषा बनाने के लिये एक सम्मेलन का आयोजन किया। उस सम्मेलन में हिन्दी के लेखक ही नहीं और दूसरे लोग भी शामिल हुए। लेखकों की बात तो ठीक थी। लेकिन दूसरे लोगों ने, जो हिन्दी के समर्थक वहां मौजूद थे, उन्होंने, मुझ से कहा कि मुझे पाकिस्तान चले जाना चाहिए। मैं यहां उर्दू का समर्थन कर रहा हूं। मैं ने उन से कहा कि उर्दू पाकिस्तान की भाषा नहीं है, वह पाकिस्तान से निकाली जा चुकी है क्योंकि उर्दू पाकिस्तान में पैदा नहीं हुई थी। वह हिन्दुस्तान में पैदा हुई और वह हिन्दुस्तान की भाषा है और दरअसल हिन्दी और उर्दू में कोई फर्क नहीं है। केवल लिपि का फर्क है और उस को मिटा देना चाहिए, क्योंकि यह एक नकली दीवार है।

जब किसी दूसरी भाषा के लोग यह मान लें कि हिन्दी लोगों की नीयत साफ नहीं है तो मानना पड़ेगा कि नीयत साफ नहीं है। जब नीयत साफ नहीं है, तो चाहे कोई भी हमारा उद्देश्य हो वह पूरा नहीं होगा। आपका उद्देश्य अच्छा हो सकता है। आप यह कहें कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हिन्दी में फैसले दिये जाने चाहियें और हिन्दी में उनकी कार्रवाई होनी चाहिये, तो मैं भी इसका समर्थन करता हूं क्योंकि यह सवाल जनता का है। सुप्रीम कोर्ट या कानून सब जनता के लिये हैं। जबतक इनका काम जनता की भाषा में नहीं होगा तब तक जनता की भलाई नहीं होने वाली है। वह केवल किताबी रहेगा और इससे केवल थोड़े से लोगों का फायदा होगा, वकीलों का फायदा होगा। हमेशा जनता अदालत से दूर रहेगी। बदली हुई परिस्थिति में जनता को अदालतों तक नहीं पहुंचना है बल्कि अदालतों को जनता तक पहुंचना है। यह बात कभी नहीं होगी क्योंकि आपकी नीयत साफ नहीं है। चाहे उत्तर भारत हो, बंगाल हो, महाराष्ट्र हो या साऊथ हो, कहीं भी जाने पर हिन्दी भाषी अपने को हिन्दी भाषी कहने में शर्म का अनुभव करता है। क्योंकि हिन्दी भाषा-भाषी कहते हुए उनके तेवर चढ़ जाते हैं। नीरद चौधरी ने अपनी किताब में लिखा है, और यह गलत भी हो सकता है, कि आर्यवर्ती लोग साम्राज्यवादी थे। समुद्र के किनारे के लोग, दबे हुए लोग हैं। इसमें अतिश्योक्ति हो सकती है। यह इतिहास की बात है। इस सारी

बात को यहां पांच मिनट में कहना असंभव है। नीरद चौधरी की बहुत सी बातें विश्वसनीय नहीं होती हैं, सही नहीं होती हैं। लेकिन यह सही है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान के हिन्दी भाषा-भाषी लोग अपने दिल पर हाथ रख कर सोचें कि हम कहां तक हिन्दी को बढ़ाना चाहते हैं, कहां तक हम हिन्दी के नाम पर राजनीति को चलाना चाहते हैं ? जब तक हम हिन्दी को राजनीति से अलग नहीं करेंगे तब तक हिन्दी भाषा की समस्या को हल नहीं कर सकते। जब हम हिन्दी को सत्ता हथियाने के मन्तव्य से अलग कर लेंगे तब हिन्दी अपने आप बढ़ जाएगी। दूसरी भाषाओं के लोग अपने आप हिन्दी को अपनाने लगेंगे, बोलने लगेंगे। आज सवेरे भी प्रश्नोत्तर के दौरान, 'विश्व हिन्दी सम्मेलन' और 'संयुक्त राष्ट्र में हिन्दी' इन तमाम विषयों पर बातचीत हुई। एक सवाल मैंने भी पूछा था। एक ओर तो हम यह मांग करते हैं कि विदेशों में हिन्दी का प्रयोग होना चाहिये। ठीक है होना चाहिये। यह भी कहा जाता है हिन्दी विकसित भाषा है, इसको बहुत लोग बोलते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह तर्क काफी है। बोलने को तो बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। जो खत्म हो रही हैं, वे भी बोली जाती हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं है वे भी बोली जा रही हैं। किसी भाषा को बोला जाना अपने आप में काफी नहीं होता है। सवाल यह है कि किन कारणों से उसको बोला जा रहा है और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि किन कारणों से आप उस को संयुक्त राष्ट्र में ले जाना चाहते हैं। क्या आप संयुक्त राष्ट्र में या विश्व हिन्दी सम्मेलन में हिन्दी की प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहते हैं, या वहां उसका पूजन-अर्चन करना चाहते हैं। भारतवर्ष में हिन्दी का मन्दिर बना हुआ है। क्या आप चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में भी उसका एक मन्दिर बने और उसकी पूजा हो ? अगर आप हिन्दी को पूजा की भाषा बनाए रखना चाहते हैं तो हो सकता है यह पूजा की ही भाषा बन कर रह जाए। लेकिन मेरा यह कहना है कि भारत की जनता उसको कभी स्वीकार नहीं करेगी। सवाल यह नहीं है कि विधेयक पारित होता है या नहीं। सवाल यह नहीं है कि सरकारी कारखानों में हिन्दी किस तरह से चल रही है ? बल्कि सवाल यह है कि आप किन कारणों से हिन्दी को बढ़ाना चाहते है ? और किस तरह की हिन्दी को बढ़ाना चाहते हैं।

पिछले तीन-चार वर्षों में राजभाषा विभाग ने हिन्दी की बड़ी तरक्की की है, बहुत काम किया है। मैं उसमें काम करने वाले अधिकारियों को जानता हूं। वे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सही सही ढंग की हिन्दी बने। लेकिन निचले स्तर पर जिस तरह की हिन्दी प्रयोग में आती है, बोली जाती है, लिखी जाती है, मैं खुद एक लेखक होने के नाते उस तरह की हिन्दी से नफरत करता हूं। उस हिन्दी से मुझे दुर्गन्ध आती है। मुझे लगता है यह केवल अनुवाद की भाषा है। क्या आप सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में हिन्दी का प्रयोग करवा कर, इनमें हिन्दी मनवा कर एक अनुवाद की भाषा तैयार करवाना चाहते है। हिन्दी का इससे क्या भला होगा। मैं समझता हूं कि इससे हिन्दी का कुछ भी भला नहीं होगा। क्या अनुदित भाषा राष्ट्र भाषा होगी ? राजभाषा विभाग से संबंधित अधिकारी बारबार यह कहते रहे हैं कि इस प्रकार की भाषा की जरूरत नहीं है। आज जरूरत इस बात की है कि हिन्दी का मूल रूप से व्यवहार किया जाय। जो हिन्दी भाषी नहीं हैं या जो हिन्दी नहीं जानते हैं, मैं उनकी बात नहीं करता, लेकिन मैं हिन्दी जानने वालों से यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार की अनुवाद की भाषा से हमें कोई फायदा होगा सुप्रीम कोर्ट में हिन्दी होगी, लेकिन केवल अनुवाद की भाषा से क्या हमें कोई लाभ होगा ? मैं समझता हूं कि आज आवश्यकता इस बात की है

[श्री श्रीकान्त वर्मा]

कि हम अपने दिमाग और मन को साफ करें और जब तक हमारे अन्दर मौलिक चिन्तन नहीं होगा तब तक अनुवाद की भाषा से कोई फायदा होने वाला नहीं है। अभी पांडे जी ने यहां पर बहुत से उदाहरण दिये। मैं सिर्फ एक ही उदाहरण देना चाहता हूं कि आप मेम्बर आफ पार्लियामेंट को संसद्-सदस्य कहते हैं। यह अंग्रेजी का अनुवाद है। हमारे पास इसके लिए क्या कोई और शब्द नहीं है। क्या वजह है कि मराठी में एम० पी० के लिए खासदार शब्द है, लेकिन हमारे पास इसके लिए कोई शब्द नहीं है? इसका कारण यह है कि हम मौलिक चिन्तन नहीं करते हैं। हमारा सारा चिन्तन पश्चिमी है। आप जानते हैं कि हिन्दी भाषी क्षेत्रों और नेताओं द्वारा ही पश्चिमी का सबसे ज्यादा विरोध किया जाता है और हिन्दी भाषी लोग ही सबसे ज्यादा पश्चिमी सभ्यता से आक्रान्त हैं। बंगाल भाषी या मराठी भाषी पर अंग्रेजी का कोई हौवा नहीं है। वह अंग्रेजी में बोलता है हिन्दी का विरोध करने के लिए और वह सही करता है। हिन्दी भाषी हिन्दी का इस्तेमाल करके उसका दुरुपयोग करना चाहते हैं, उसके अधिकारों का हनन करना चाहते हैं। इसीलिए वो लोग अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अनेक मन में अंग्रेजी के प्रति कोई प्रेम नहीं है। मैं जब पूर्वी और पश्चिमी यूरोप के देशों में जाता हूं तो लोग पूछते हैं कि आप अंग्रेजी में क्यों बोलते हैं? मैंने उनसे कहा कि रेलवे में हिन्दी बोलने से रिजर्वेशन नहीं हो सकता है और टेलीफोन पर हिन्दी में बात करने पर टेलीफोन आपरेटर विनम्र नहीं होती है। जब हमारी मनोवृत्ति इस प्रकार की है तो फिर हिन्दी किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है। बंगाल का या आसाम का टेलीफोन आपरेटर बंगाली और असमिया में ही बात करता है और बड़ी विनम्रता से जवाब देता है। वे अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। हम नारा हिन्दी का लगाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को पब्लिक स्कूलों में भेजते हैं। जब तक हमारी मनोवृत्ति में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक हमारी भाषा नहीं बन सकती है। हम कानून द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले हिन्दी में प्रकाशित कर सकते हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। सवाल यह है कि आप अपनी मनोवृत्ति को बदलने के लिए तैयार हैं या नहीं? अगर आप अपनी मनोवृत्ति को नहीं बदल सकते तो यहां केवल संसद् में बार बार बहस करते रहने से कोई फायदा नहीं होगा। इतिहास इन तमाम बहसों को केवल मानसिक विलास मानकर रद्द कर देगा।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही (उत्तर प्रदेश) : उप-सभाध्यक्ष महोदय, मैं त्यागी जी से सबसे पहले यह निवेदन करता हूं कि वह इस विधेयक को वापस ले लें क्योंकि जैसा पांडे जी ने कहा कि आपकी इंटेंशन कुछ गलत मालूम होती है। मैं नहीं कहता कि आप की इंटेंशन गलत है, लेकिन एक बात बहुत साफ है। कलवार का बेटा अगर दूध लेकर जाये तो भी लोग यह समझते हैं कि शराब लेकर जा रहा है।

इसलिए आपके हाथों से कोई चीज आती है तो हमको शक हो जाता है कि आप किस मकसद से यह बात कह रहे हैं? इसलिए मैं आपसे अपनी यह सिफारिश करता हूं, आपसे निवेदन करता हूं, कि आप इसे वापस ले लें।

अभी गांधी जी का नाम जिस किसी ने भी लिया, यह कह कर लिया कि गांधी जी के नाम पर ऐसा होना चाहिए। तो मैं बड़ी सफायी से कह दूं कि गांधी

जी को तो बहुत हद तक यह मुल्क भूल चुका है, और अब आप गांधी जी का नाम लेकर और अन्याय मत कीजिए गांधी जी के साथ आप लोग।

लेखक लोग, कवि लोग और इस वर्ग के दूसरे लोग यह समझते हैं कि जो भाषा वे लिखते हैं और जिस भाषा में वे शायरी या कविता करते हैं वही भाषा है। यह भावना उनके मस्तिष्क में रहती है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि भाषा क्या है, इसी पर बड़ा भारी भ्रम है। लोग यह समझ बैठे हैं कि संसद् में या महफिल में या विद्वानों की गोष्ठी में जो भाषा बोली जाती है, वही भाषा है। असलियत दूसरी है ? भाषा वह है कम से कम हिंदुस्तान की भाषा वह है, जो हिंदुस्तान के 90 फीसदी लोग गांवों में बोलते हैं क्योंकि हिन्दुस्तान की जनता और हिन्दुस्तान के आदमी गांवों में रहते हैं। जो वहां के लोग बोलते हैं वही भाषा है।

अभी थोड़ा-सा यहां एक भ्रम पैदा हुआ, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में। लोगों को कंफ्यूजन होता है, भ्रम होता है कि जो राज-भाषा है वही राष्ट्रभाषा भी है। पांडे जी ने कहा कि किसी युग में संस्कृत राजभाषा थी; मुगल आए तो पर्शियन राजभाषा हुई। मगर वह राजभाषा हुई, राष्ट्रभाषा नहीं हुई। इस मुल्क में संस्कृत और पर्शियन कभी राष्ट्रभाषा नहीं थी, वह केवल दरबार की भाषा थी। संस्कृत भी दरबार की भाषा थी, सरकारी भाषा कह लीजिए आप, और पर्शियन भी दरबार की भाषा थी, कभी मुल्क की भाषा नहीं थी। श्रीमन्, बड़ी गलत फहमी होती है इस पर भी लोग यह सोच बैठे हैं कि दक्षिण में, तमिलनाडु में, जो इसी भाषा के नाम पर दंगे हुए वे भाषा के दंगे थे, लोग यह सोचते हैं कि असम में जो हुआ वह भाषा का दंगा था। पांडे जी ने कहा कि बेलगाम में और गोवा में भाषा का झगड़ा है। भाषा का कहीं झगड़ा नहीं है, हिन्दुस्तान के किसी भी हिस्से में भाषा का झगड़ा नहीं है, और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं : मेरे साथ चल कर दिखाएं। यह तो सियासी लोगों का अपने स्वार्थ का झगड़ा है। तमिलनाडु में भाषा का झगड़ा कभी भी नहीं रहा। तामिलनाडु में जो कुछ हुआ केवल वहां के राजनीतिज्ञों ने किया; वहां की जनता ने कभी हिंदी के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। तामिलनाडु के 100 गांवों में आप मेरे साथ चलिए, किसी गांव में हिंदी के खिलाफ कोई आवाज नहीं है।

अगर हिंदी के सवाल पर किसी ने आग लगाई, हिंदी के खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाई तो उन्होंने जिनको इस बात का खौफ था कि हमारा बेटा शायद आई०ए०एस० में आई०पी०एस० में आने में कठिनाई महसूस करे। कभी अवाम ने आवाज हिंदी के खिलाफ नहीं उठाई। असम में कौन लड़ा ? जनता नहीं लड़ी। ऊपर के लोग जिनका स्वार्थ अटका हुआ था, जो शुद्ध राजनैतिक स्वार्थ के लिए झगड़ा चाहते थे, वे ही झगड़े। कहीं भाषायी दंगे नहीं हुए। इसलिए यह कह कर कि भाषायी दंगे हुए—किसी पर यह तोहमत लगायी जाए—यह बहुत अन्याय की बात होगी। श्रीमन्, जो बात कही गई है, हमारे खुरशीद आलम खान और पांडे जी ने कही, कभी भी बंगाली, आसामी, तैलगू, तामिल और हिन्दी के बीच कोई सवाल ही नहीं उठता था। सवाल तो सिर्फ हिन्दी और अंग्रेजी का था। सवाल यह था कि इस मुल्क में जो सम्पर्क भाषा होगी वह विदेशी भाषा होगी या फिर कोई देसी भाषा सम्पर्क भाषा बनाई जायेगी। चूंकि हिन्दी या हिन्दुस्तानी मुल्क के ज्यादा लोगों की जबान थी, इसलिए इस बात पर फैसला हुआ कि इसको सम्पर्क भाषा बनाया जाए। कभी भी यह मंशा नहीं थी कि हिन्दी को तैलगू या उस भाषा को नुकसान पहुंचा कर उसको आसीन बनाया जाय। इसी तरह से कन्नड़ को किसी तरह का नुकसान पहुंचाकर हिन्दी को आसीन बनाया जाय। हिन्दी तो तब ही रह सकती है जब कि तैलगू और कन्नड़

[श्री नागेश्वर प्रसाद शाही]

भी तरक्की करें। तेलुगू और कन्नड़ को नुकसान पहुंचा कर हिन्दी तरक्की नहीं कर सकती है।

श्रीमन्, जिस तरह के फ्रांस की भाषा फ्रेंच है, इंग्लैंड की भाषा अंग्रेजी है, जर्मन की भाषा जर्मनी है, रूस की भाषा रूसी है, उसी तरह से हिन्दुस्तान की भाषा हिन्दुस्तानी है। जो लोग हिन्दी और उर्दू की बात करते हैं, उनके दिमाग में कंफ्यूजन है, चाहे वे त्यागी जी हों या कोई दूसरे लोग हों। हिन्दुस्तान की भाषा हिन्दुस्तानी है और कोई दूसरी भाषा नहीं हो सकती है। हिन्दुस्तान में हिन्दी और उर्दू नाम की कोई भाषा नहीं है। यह तो कवि सम्मेलन की भाषा है, मुशायरे की भाषा है और महफिल की भाषा है। त्यागी जी आप हमारे साथ चलिये, मेरे गांव में चलिये जहां पर आधे हिन्दू रहते हैं और आधे मुसलमान रहते हैं। आप उनकी भाषा को स्वयं सुन लीजिये कि वे कौन सी भाषा बोलते हैं। वे न आपकी हिन्दी भाषा बोलते हैं और न ही उर्दू भाषा बोलते हैं। वे तो आपकी भाषा को समझ भी नहीं पायेंगे। जो भाषा आप बोलते हैं उसको वे समझ नहीं पायेंगे। यह हिन्दी और उर्दू क्या है ? यह तो दिल्ली और लखनऊ की महफिलों की जबान है और आम की जबान नहीं है। यह कभी भी अवाम की जबान नहीं रही।

श्री खुरशीद आलम खान : एक बार फिर से वह जुम्ला कह दीजिये।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : यह तो दिल्ली और लखनऊ में महफिलों में इस्तेमाल होने वाली जबान है और आवाम की जबान नहीं है।

श्रीमन्, असल में कोई झगड़ा हिन्दी और उर्दू का नहीं है। अगर मैं इसकी नीचे तक की बात कह दूं तो आप नाराज हो जायेंगे। हिन्दी और उर्दू के नाम पर चन्द लोग एकाडमी बनाये हुये हैं और सरकार का लाखों रुपया उनके पाकेटों में जा रहा है। (*Interruptions*) माफ कीजिये, आप मेरे साथ जरा लखनऊ चलिये और देखिये कि हिन्दी और उर्दू की तरक्की के नाम पर लाखों रुपया लोगों के पाकेटों में जा रहा है। और वह चीज कायम रही। इसलिये उर्दू और हिन्दी का झगड़ा भी कायम रहेगा, यह कभी खत्म नहीं होने वाला है जब तक वे लोग कायम रहेंगे।

विदेशों में, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी के प्रयोग की बात करते हैं। अभी इस मुल्क में हिन्दी का प्रयोग होता ही नहीं। विदेशों में, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी के प्रयोग की बात करते हैं और उसके नाम पर एक कमेटी बनाकर लाखों लाख रुपया चन्दे में इकट्ठा करते हैं। जरा इसकी जांच तो कर लीजिये। क्यों नहीं अपने मुल्क में, मुल्क के हर हिस्से में हिन्दी का इस्तेमाल शुरू किया जाये। केरल में देख लें, तमिलनाडु में देख लें, वहां हिन्दी की तरक्की का काम इसलिये नहीं हो पा रहा है कि रुपया नहीं है। जो प्रचार करने वाली संस्थायें हैं उनके पास साधन नहीं हैं लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी के इस्तेमाल का ख्वाब देखा जा रहा है, उसके लिये पैसे इकट्ठे किये जा रहे हैं।

श्रीमन् आप चाहे जितनी भाषायें रखें कोई कठिनाई नहीं है। एक चीज आपको जरूर करनी होगी। आपको एक लिपि अपनानी होगी। एक लिपि आप अपना लें, फिर, भाषा का नाम आप उर्दू रखें कोई एतराज नहीं, भाषा का नाम फारसी रखें कोई एतराज नहीं। पूरे मुल्क में एक लिपि का होना बहुत जरूरी है, अगर मुल्क में एकता रहनी है और एकता को कायम रहना है। अगर आप चाहते हैं कि वह लिपि असमिया हो तब भी मुझे एतराज नहीं है, कोई हो मगर एक लिपि हो। मुझे देवनागरी पर ही कोई जिद नहीं। वह लिपि अपनाने के बाद उस पर सख्ती से अमल होना चाहिये और फिर कहीं भी चूंचपड़ नहीं होनी चाहिए। वह हो जाय तो बहुत हद तक आज जितने प्राबलम हैं, जितने सवाल हैं वे सब खत्म हो जायेंगे।

श्रीमन् हमारे खां साहब ने यह भी कहा कि कला प्रेम, आपस में ताल्लुकात, मिलीजुली सभ्यता से ये सारी चीजें होनी चाहिए। क्योंकि आप मिली जुली सभ्यता की बात करते हैं? सभ्यता कहते किसे हैं? सभ्यता दो चीजों को मिलाकर नहीं बनाई जाती। आप और हम एक साथ रहते हैं, हमारी आपकी जो सभ्यता है, वही सभ्यता है। कभी कोई मिक्चर नहीं बनाया जाता। सभ्यता कम्पाउंड होती है, मिक्चर नहीं होती।

श्री खुरशीद आलम खान: मिक्चर और मिली जुली में फर्क है।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही: जो मिक्चर होता है वह सेपरेबल होता है। कम्पाउंड सेपरेबल नहीं होता, वह बनता है।

श्री खुरशीद आलम खान: जो शीरो-शक्कर हो जाता है वह फिर अलग नहीं होता।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही: यही बात समझ में नहीं आती। आप जो कह रहे हैं वह आवाम की समझ में नहीं आता। और यही मुझे कहना है शक्कर तो सब समझते है शीरा भी समझते हैं। लेकिन जब शीरे और शक्कर को मिला देते हैं तो आवाम को समझ में नहीं आता है। इसलिये मैंने निवेदन किया कि भाषा को भ्रम में न डाला जाए। भाषा वह नहीं है कि जो हम बोलते हैं। वह नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट में बोली जाती है। भाषा वह है कि जो 90 फीसदी लोग गांवों में बोलते हैं और वही राष्ट्रभाषा है, वह चाहे राज भाषा न हो, लेकिन जब यहां जनता का राज्य होगा और हो गया है तो राष्ट्र भाषा राज भाषा भी होगी और इस को कोई रोक नहीं सकता। वह जमाना खत्म हो गया कि जब मुगलों के दरबार में फारसी चलती थी या उस के पहले के दरबारों में संस्कृत चलती थी। वह जमाना खत्म हो गया जब दरबार की भाषा और राष्ट्र की भाषा भिन्न भिन्न हुआ करती थी। अब आज नहीं तो कल, राष्ट्र भाषा को राज भाषा बनना ही होगा। (*Interruptions*) वह राष्ट्रीय भाषायें नहीं हैं। वह सहयोगी भाषायें हैं। वह तो आपस में समझने की बात है। सोवियत रूस में वह नहीं चलता जो इस देश में चल रहा है और जो कुछ इस देश में चल रहा है वह सोवियत रूस कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और अगर आप सोवियत रूस की बात मान लें तो यह सवाल ही न पैदा हो। तो इस लिये मैंने निवेदन किया कि त्यागी जी, आप कृपा कर इस विधेयक को वापस लें और हिन्दी का नाम न लेकर, हिन्दी और उर्दू का नाम न ले कर गांधी जी की दुहाई न दीजिये। इस देश की भाषा हिन्दुस्तानी है और हिन्दुस्तानी रहेगी, हिन्दी और उर्दू नहीं रहेगी। धन्यवाद।

श्री ओम मेहता: चेयरमैन, सर, मैं आभारी हूं श्री ओउम् प्रकाश जी त्यागी का कि उन्होंने एक ऐसा बिल यहां पेश किया कि जिस पर खुल कर इस सदन में चर्चा हुई और खास कर हमें कई अच्छे अच्छे विचार सुनने का मौका मिला। पांडे जी ने, खान साहब ने, हमारे राम लाल जी ने, कल्प नाथ जी ने, श्रीकान्त वर्मा जी ने और आखिर में श्री नागेश्वर प्रसाद शाही जी ने इस बिल पर काफी कुछ कहा। और उन के जो विचार थे वह काफी अच्छे भी थे। मैं तो समझता हूं कि जितना मुझे कहना था वह पांडे जी ने कह दिया है और दूसरे लोगों ने भी कह दिया है और त्यागी जी अगर उनके कहने पर विचार करें तो उन को और कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। वह खुद ही इस बिल को वापस ले लेंगे ताकि किसी किस्म का विवाद यहां न हो। लेकिन मैं समझता हूं कि त्यागी जी मेरा जवाब जरूर सुनना चाहेंगे ताकि उस के बाद वह इस बिल को वापस ले सकें।

त्यागी जी ने यह कहा कि यहां हिन्दी हमारी राष्ट्र भाषा है और हिन्दी के लिये हमने कोई ऐसी बात नहीं की। हमारे विधान में यह कहा गया था कि 15 वर्ष बाद अंग्रेजी यहां से चली जायगी और वहां पर सिर्फ हिन्दी ही हमारी राष्ट्रीय भाषा होगी,

[श्री ओम मेहता]

राजे भाषा होगी । मैं सिर्फ उन को यह बता देना चाहता हूं कि हिन्दी की प्रगति के लिये हिन्दी को आगे बढ़ाने के लिये यहां की सरकार ने जो भी वायदे किये थे उन को पूरा करने की वह कोशिश कर रही है और पूरा कर रही है । 1965 तक यह कहा जाता था कि हिन्दी सिर्फ उसी जगह इस्तेमाल हो सकती है जिसके लिये प्रेजीडैन्ट इजाजत दे । लेकिन अब हरेक व्यक्ति जो कि सरकार में है, गवर्नमैंट सर्वेन्ट है हिन्दी का इस्तेमाल कर सकता है और उसे अंग्रेजी ट्रांसलेशन नहीं देना पड़ेगा । जो आफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1967 में पास किया गया था । उसमें यह कहा गया है कि जो जनरल आर्डर्स होंगे उनके लिये हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का इस्तेमाल होना जरूरी हैं । सरकुलर्स नोटिफिकेशंस और दूसरी बातों के लिये दोनों भाषाओं का इस्तेमाल जरूरी है । इस वक्त तीन लाख के करीब सैन्ट्रल गवर्नमैंट एम्पलाएज हैं जिनको हिन्दी में ट्रेनिंग दी गई है उनमें से लगभग 17 हजार एम्पलाइज को टाइपराइटिंग सिखाई गई है और 4 हजार को शार्टहैंड सिखाई गई वे लोग हिन्दी के काम के लिये इस्तेमाल किये जा रहे हैं । कोशिश यह की जा रही है हिन्दी स्पीकिंग स्टैट्स जो हैं उनके साथ जितने भी पत्र-व्यवहार हों वे सारे हिन्दी में हों । जो भी पत्र वहां से हिन्दी में आते हैं उनका जवाब हिन्दी में ही दिया जाता है । 1968-69 में जो पत्र वहां से आए थे उनकी तादाद 26487 थी लेकिन 1974-75 में उनकी तादाद बढ़ कर 58000 हो गई है । उनमें से 27 हजार 241 खतों का हिन्दी में जवाब दिया गया ।

इसी तरह से हम ने यह भी कोशिश की कि जिन मंत्रालयों में सलाहकार समितियां नहीं थी वहां सलाहकार समितियां बनाई जाये । पहले केवल 4 मंत्रालयों में हिन्दी सलाहकार समितियां थी अब 20 मंत्रालयों में हिन्दी सलाहकार समितियां बनाई गई हैं ।

पिछले साल हिन्दी का एक अलग से विभाग बनाया गया है । इसके सेक्रेटरी भी नियुक्त हो गये हैं और यह बिल्कुल स्वतंत्रता के साथ काम कर रहा है । आप जानते हैं कि अब एक पार्लियामैन्टरी कमेटी भी बनी है और इस हाउस में से भी कुछ सदस्यों को उसमें लिया गया है, वह यह देख रही है कि भिन्न-भिन्न मंत्रालयों में, आफिशियल लैंग्वेज एक्ट में जो कुछ कहा गया है, उसके मुताबिक काम हो रहा है या नहीं हो रहा है और जिस प्रकार से एक्ट में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने की बात है उस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है या नहीं । कोशिश यह की जा रही है कि जो अहिन्दी भाषी कर्मचारी हैं । जिन्हें अभी तक हिन्दी नहीं आई है उन पर हिन्दी को थोपने की कोशिश न की जाए । हमारे पांडे जी ने और दूसरे मैम्बरों ने जो कहा है कि यह भाषा प्यार की भाषा है, यह ठीक ही कहा है । भाषा से एक-दूसरे में प्यार पैदा होना चाहिये, यह नहीं कि एक-दूसरे में विरोध पैदा हो । यह सब कोशिश इसलिये की जा रही है कि हिन्दी को ऐसी जुबान बनाई जाए ताकि यह राज-भाषा ही न रहे बल्कि जनता की जुबान बन जाए या उसमें दूसरी भाषाओं के अल्फाज आ जाएं । वह एक ऐसी जुबान बन जाए जिसे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पंजाब से लेकर आसाम तक सभी भारतवासी लोग समझ सकें । उस जुबान के जरिये बात कर सकें । अपनी बात समझा सकें और दूसरों की बात समझ सकें ताकि इस मुल्क में रहते हुए गैर हिन्दुस्तानी न हों । इस बात की इसलिये कोशिश की जा रही है ताकि सभी लोगों की एक जुबान बन जाए ।

अभी यहाँ पर जो कांस्टिट्यूशन एमेन्डमेन्ट बिल रखा गया है, उसके संबंध में मैं यहां पर कांस्टिट्यूशन की कुछ धाराएं पढ़कर सुनाना चाहता हूं —

"348(1) Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Part, until Parliament by law otherwise provides:

(a) all proceedings in the Supreme Court and in every High Court,

(b) the authoritative texts—

(i) of all Bills to be introduced or amendments thereto to be moved in either House of Parliament or in the House or either House of the Legislature of a State

(ii) of all Acts passed by Parliament or the Legislature of a State and of all Ordinances promulgated by the President or the Governor of a State; and

(iii) of all orders, rules regulations and bye-laws issued under this Constitution or under any law made by Parliament or the Legislature of a State.

Shall be in the English language."

इसी तरीके से कांस्टिटयूशन की धारा 348(2) में यह कहा गया है कि–

(2) Not withstanding anything in subclause (a) of clause (1), the Governor of a State may, with the previous consent of the President, authorise the use of the Hindi language, or any other language used for any official purposes of the State, in proceedings in the High Court having its principal seat in that State:

Provided that nothing in this clause shall apply to any judgment, decree or order passed or made by such High.Court."

जब से हमारा कांस्टिट्यूशन बना है तब से हमने इस बात की कोशिश की है कि हिन्दी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग हो कई हिन्दी भाषी राज्यों के जो गर्वनर हैं उन्होंने प्रेजीडेन्ट से इजाजत लेकर अपने हाई कोर्टों में हिन्दी का प्रचलन करने की आज्ञा देदी है। इस वक्त राजस्थान, मध्यप्रदेश, यू० पी० और बिहार में हाई कोर्टों के अन्दर इस जबान का इस्तेमाल किया जा रहा है।

त्यागी जी ने अपने भाषण में दिल्ली की बात भी कही थी। इस बारे में मैं उनको बताना चाहता हूं कि यहां पर गर्वनर न होने की वजह से गवर्नर का आदेश नहीं दिया जा सकता है, लेकिन फिर भी हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्दी ही इस किस्म का बिल लाया जाय जिसके मातहत दिल्ली के न्यायालयों में भी हिन्दी का आफ्शनल इस्तेमाल हो सके। इस तरह से आप देखेंगे कि हिन्दी का इस्तेमाल बढ़ाने के लिये जितनी भी कोशिश की जा सकती है वह की जा रही है।

जहां तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल, है, आप जानते है कि [एक पार्लियामेन्टरी कमेटी बनी हुई है और वह कमेटी इन सारी बातों पर विचार करेगी। वह कमेटी इस बात पर भी विचार करेगी कि सुप्रीम कोर्ट में हिन्दी लाई जाय या नहीं। मैं सिर्फ यह कह देना चाहता हूं कि हमारा जो आफिशियल लैंग्वेजज एक्ट, 1967 है उसमें कहा गया है कि––

"Not withstanding expiration of the period of 15 years from the commencement of the Constitution, the English language -may, from the appointed day, continue to be used in addition to Hindi."

इस तरह आफीशियल लैंग्वेजज एक्ट है उसमें जो बातें कही गई हैं उसी तरह से हम आगे चलते जा रहे हैं। हम न सिर्फ हिन्दी भाषा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि जो अन्य प्रान्तीय भाषाएं हैं उनको भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।

4.P.M. और उसके साथ-साथ यह कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से यहां पर जबान के नाम पर किसी किस्म का विवाद न हो और इसलिए ज्यादा से ज्यादा कांसेन्शस लेकर हम यह कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसी जबान बनायी जाय जो लोगों की आम जबान हो और वे समझ सकें।

मैं उम्मीद करता हूं, और मुझे विश्वास है, कि त्यागी जी अपने इस विधेयक को वापस ले लेंगे ताकि इसकी वजह से कोई ऐसी बात न हो जाए जिसका विरोध हो। इस मामले को हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी देख रही है। मैं समझता हूं, त्यागी

[श्री ओम मेहता]
जी और सब लोगों ने जो विचार प्रगट किए हैं उसको मानते हुए इस बिल को वापस ले लिया जाएगा ।

श्री ओउम् प्रकाश त्यागी : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह आश्वासन दिया कि एक कमेटी बनी हुई है और वह इस विषय पर विचार कर रही है । लेकिन मैं इससे पूर्व के कुछ प्रश्नों का जवाब देना चाहूंगा ।

पांडे जी का मैं बहुत आदर करता हूं अभी वे यहां आए हैं इस सदन में । इसलिए मैं उनकी पहली स्पीच का स्वागत करूंगा ...

एक माननीय सदस्य-- दूसरी स्पीच है ।

श्री ओउम् प्रकाश त्यागी : उनकी स्पीच का स्वागत करना मेरा कर्तव्य बन जाता है । लेकिन उन्होंने ऐसा प्रश्न उठाया जिसका उत्तर देना स्वाभाविक है और वह यह है--मैं क्षमा चाहूंगा पांडे जी से, आप विद्वान आदमी हैं । आपने संभवतः मेरी बात को ध्यान से सुना नहीं और मैं अभी भी उस बात पर अटल हूं जो मैंने कही थी कि जिस समय यहां विदेशी लोग भारतवर्ष में आए उस समय राष्ट्रीयता का अभाव था, राष्ट्रीय एकता का अभाव था । उस समय देश में राष्ट्रभाषा नहीं थी । मेरा आज भी यह कहना है, और आपने स्वीकार भी किया, है, कि राष्ट्र-भाषा इस देश में बौद्ध काल में थी, उससे पहले वैदिक काल में भी थी और लाखों बरस इस देश में राज्य चलता रहा, चक्रवर्ती राजा भी रहे--वे राष्ट्रभाषा बिना कैसे चल सकते थे । मैं इतिहास का छोटा-मोटा विद्यार्थी जरूर हूं और मैंने धर्म ग्रंथों को और दूसरे साहित्य को भी पढ़ा है और मैं कह सकता हूं कि वैदिक काल में समूचे देश की राष्ट्र-भाषा यहां संस्कृत थी ...

श्री कल्प नाथ राय : एक बात पूछनी है, त्यागी जी, आपने कहा लाखों वर्ष का इतिहास पढ़ा है, तो उसमें महाभारत तो ईसा से 3100 वर्ष पूर्व हुआ था ।

श्री ओउम् प्रकाश त्यागी : मुझे क्षमा कीजिए, कल्प नाथ जी, थोड़ा सुन लें । आपने अंग्रेजों और विदेशी लोगों का ही इतिहास पढ़ा है । मैंने अपने यहां का साहित्य और इतिहास पढ़ा है, ऋषि-मुनियों का लिखा हुआ पढ़ा है, और वह आपकी बात से मेल नहीं खाता । लगभग पौने 2 अरब वर्ष हुए हैं इस सृष्टि की रचना हुए । महाभारत और रामायण के काल में भी मतभेद बनता है । अभी 5,000 वर्ष पूर्व का महाभारत काल है, रामायण का काल तो बहुत ऊपर चला जाता है । मैं उस झमेले में इस समय नहीं जाना चाहता ।

श्री श्रीकान्त वर्मा : अभी तो खुदाई हो रही है, आप पहले से इस नतीजे पर क्यों पहुंचते हैं ?

श्री कल्प नाथ राय : ईसा से 3100 वर्ष पूर्व महाभारत हुआ, यह बात सामने आई है ।

श्री ओउम् प्रकाश त्यागी : कल्पनाथ जी, हमारे यहां ग्रंथों में आया है कि महा-भारत का काल आज से 5,000 वर्ष पूर्व का था । आजकल तो यहां तक सिद्ध किया जा रहा है कि रामायण और महाभारत काल कभी था ही नहीं । अब क्या करें, अभी आपने कहा खुदाई जो हो रही है, मैं आपसे ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं । खुदाई के बल पर आप इतिहास लिखना चाहते हैं ? आज भी अगर भारतवर्ष का वर्त-मान ढांचा ज्यों का त्यों हो, जिसमें हमारा देश प्रगति पर है और उन्नति पथ पर है, आज भी अगर खुदाई कहीं छोटा नागपुर और पर्वतीय क्षेत्रों में करें, अगर वहां से लौह हथियारों को निकाल दिया जाए और उसके आधार पर यहां भारतवर्ष में 1976 का इतिहास कोई बताने वाला और लिखने वाला खड़ा हो जाए, छोटा

नागपुर में बैठ कर और जंगलों में बैठ कर तो यही कहेगा कि भारत के लोग जंगली थे, पहनने की तमीज़ नहीं थी, खाने की तमीज़ नहीं थी, रहने की तमीज़ नहीं थी ।

जहां पर खुदाई हो जाती है उसके बल पर हम इतिहास की रचना शुरू कर देते हैं और यह कहा जाता है कि जो भी खुदाई में चीज निकली है उसका इतिहास दो हजार वर्ष पुराना है और इतने लाखों वर्ष पुराना है। आज जो इतिहास लिखा जा रहा है वह इन खुदाइयों के बल पर लिखा जा रहा है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश में जो साहित्य, तथ्य, ग्रन्थ हैं, उनके बल पर हमें अपना इतिहास बनाना चाहिये ।

{Interruptions)

श्री श्रीकान्त वर्मा : हमने साहित्यिक ग्रन्थ पढ़े है और लिखे भी हैं । क्या सैकड़ों साल पहले महाभारत के जमाने में देवी देवता नहीं थे, क्या उस समय इंसान नहीं रहते थे?

श्री कल्प नाथ राय : आप ग्रन्थों की चर्चा कर रहे हैं, यह तो बहुत अच्छी बात है । लेकिन आप जो कुछ भी यहां पर बोल रहे हैं, उसकी चर्चा सारे देश के अन्दर होगी। आप तो सैकड़ों वर्ष पुरानी बात कर रहे हैं ।

श्री ओउम् प्रकाश त्यागी : यह बात सही है। मैं तो उन ग्रंन्थों की बात कह रहा हूं जो हमारे ऋषि-मुनि लिख गये हैं। मैं उस इतिहास की बात कह रहा हूं जिसकी जानकारी सब लोगों को है और उसी को उपस्थित कर रहा हूं ।

श्री ओम् मेहता : ऋषि-मुनि तो पहाड़ों में रहते हैं, उन्हें इतिहास का कहां ज्ञान है ।

श्री ओउम् प्रकाश त्यागी : हमारे यहां के ऋषि-मुनि पहाड़ों में रहते थे, लेकिन संसार का कोई भी साइन्स ऐसा नहीं

SHRI NARASINGH PRASAD NANDA (Orissa): One hundred thousand years ago Hindi was never our official language.

श्री कल्प नाथ राय : हमारे वेद पुराण भी हजारों वर्ष पूर्व के हैं ।

SHRl 1RENGBAM TOMPOK SINGH: You do not understand the real meaning of crores. What Tyagiji meant was many, many years ago. If you study the history of India, the history of India is nothing but the history of Conqueror and the history of conquest.

श्री ओउम् प्रकाश त्यागी : जब पांडे जी बोल रहे थे तो वे राष्ट्रीय एकता की बात कह रहे थे । इसके सम्बन्ध में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि विदेशी आक्रमण हुए राष्ट्रीय एकता हमारे देश में नहीं थी। अगर अंग्रेजों के आगमन के काल में और 1857 की क्रान्ति के समय भी समूचे देश में एकता रहती तो अंग्रेज उसी वक्त भाग गये होते । राष्ट्रीय एकता का अभाव के कारण ही 1857 की जो क्रान्ति थी वह विफल हो गई ।

श्री खुरशीद आलम खान : अंग्रेज चले जाते तो बिस्तर क्यों चला जाता? बिस्तर तो हमारा था ।

श्री ओउम् प्रकाश त्यागी : वह बिस्तर बहादुर शाह इस्तेमाल करने वाला था । मुगलकाल में भी यही समस्या आई और इस देश की राजभाषा कोई भाषा नहीं बन पाई । हिन्दी थी और परशियन जो थी वह भी हिन्दुस्तानी की ही उपज थी ।

श्री कल्प नाथ राय : मुगल काल में हिन्दी नहीं थी ।

उपसभाध्यक्ष (श्री लोकनाथ मिश्र) : कल्पनाथ जी उनको जो बोलना है बोलने दीजिए ।

श्री ओउम् प्रकाश त्यागी : मैं पाणिनि की बात कह रहा था ।

श्री कल्प नाथ राय : अध्यक्ष महोदय, यह बात सारे देश में छपेगी, आपकी प्रोसिडिंग्स में रहेगी, आने वाले विद्यार्थी पढ़ेंगे ।

उपसभाध्यक्ष (श्री लोक नाथ मिश्र) : छपने से भी कोई विद्यार्थी नहीं पढ़ेगा । इनकी स्पीच पर विश्वास करके कोई इतिहास नहीं बदलेगा ।

श्री ओउम् प्रकाश त्यागी : वही भ्रांति आपको भी हो रही है । मेरा कहना यह है कि मुगल काल में हिन्दी भाषा थी । उस समय समूचे देश में बोली जाने वाली एक राष्ट्र भाषा नहीं थी । इसलिये मुगल बादशाहों ने तमाम देश में राजभाषा के तौर पर उर्दू भाषा का उदय किया ।

श्री खुरशीद आलम खान : मैं साफ करना चाहता हूं कि मुगलों की आफिशियल लैंग्वेज फारसी थी । उर्दू तो मुगलों के आने से 200 वर्ष पहले बन चुकी थी । अमीर खुसरो उर्दू के पहले शायर थे जो मुगलों से बहुत पहले के थे ।

श्री कल्पनाथ राय : त्यागी जी, उर्दू और मुसलमान का कोई रिश्ता नहीं है ।

श्री ओउम् प्रकाश त्यागी : मैं मुसलमान की बात कब कह रहा हूं ? मेरे गले में मुसलमान को क्यों अटकाना चाहते हो ?

श्री खुरशीद आलम खान : मुसीबत यह है कि मुसलमान तो अटक ही जाता है ।

श्री ओउम् प्रकाश त्यागी : मैं भाषा की बात कर रहा हूं । इसमें मुसलमान कहां से आ गया ?

श्री खुरशीद आलम खान : वह तो गले का हार बन गया ।

श्री ओउम् प्रकाश त्यागी : कल्पनाथ जी ने कहा कि हिन्दी भाषा को दल का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए ? मैं इससे सोलह आने सहमत हूं और मैंने इसे दल का प्रश्न बनाया भी नहीं है ? भारत की कास्टीटुएंट असेम्बली ने फैसला किया कि इस देश की, इस संघ की राज भाषा देवनागरी लिपि में हिन्दी होगी । वह हिन्दी न लिखकर हिन्दुस्तानी कर देते तो मैं भी हिन्दुस्तानी की बात करता । हिन्दी और हिन्दुस्तानी की कोई बात नहीं है । राष्ट्र भाषा वही बन सकती है जो जन भाषा बनने की क्षमता रखती है और किताबों की भाषा को रखोगे तो वह राष्ट्र भाषा नहीं बनेगी । मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि संस्कृतमय हिन्दी ही बोलो । जिस भाषा को सरकार राष्ट्र भाषा के रूप में तैयार करे उसी से मेरा तात्पर्य है, सरकार जैसी भी भाषा बनाये मैं उसके पक्ष में हूं । मैं मानता हूं कि सभी भाषाओं की सहायता लेकर राष्ट्रभाषा राजभाषा बन सकती है और मैं इस बात के पक्ष में हूं ।

श्री रामलाल पारीख जी को मैं धन्यवाद देता हूं । उन्होंने मेरी इस बात का समर्थन किया है कि इसमें प्रान्तीय भाषाओं का विरोध नहीं है, किसी भाषा का विरोध नहीं है और यह नहीं है ।

खुरशीद आलम खान ने एक बहुत जबर्दस्त बात कही और मैं उनको धन्यवाद देता हूं । उन्होंने कहा कि वे उर्दू के हामी हैं । मैं तो उर्दू का ही नहीं भारतवर्ष में जितनी भी भाषायें हैं, यहां तक कि जिनकी लिपि भी नहीं हैं, मैं तो उनके भी पक्ष में हूं उनको यहां जीवित रहना चाहिए और प्रगति का पूरा और समान अवसर मिलना चाहिए ।

किसी भाषा के साथ पक्षपात नहीं होना चाहिए । मेहता जी, मैंने यहां कई बार प्रश्न उठाया हैं कि ट्राइबल एरियाज में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी कि अपनी बोली है, लेकिन लिपि न होने के कारण उन की कोई भाषा नहीं बन पाती मैंने कहा है कि

उनको लिपि दे कर उन की बोली में ही पुस्तकें छपवाई जायं और उन को साहित्य वितरित किया जाय । इसलिये भाषाओं का समान रूप से आदर होना चाहिए, तरक्की होनी चाहिये ।

श्री ओउम् मेहता : इसी लिये बोडो लोगों को देव नागरी लिपि में किताबें दी गयी हैं ।

श्री ओउम् प्रकाश त्यागी : बहुत अच्छी बात है। पांडे जी ने कहा है कि यह पोलिटिकल स्टंट है। पांडे जी, मेरे ख्याल में यह बात नहीं आती कि आपने इसको पोलिटिकल स्टंट कैसे समझ लिया। अगर संविधान की किसी धारा का कोई आदमी समर्थन करता है तो वह पोलिटिकल स्टंट कैसे हो जाता है यह मेरी समझ में नहीं आता। पोलिटिकल स्टंट तो किसी को एक्सप्लायट करना है। यहां एक्सप्लायटेशन किसी का नहीं है। यहां तो मांग यह है कि हिन्दी भाषा को जिस को आपने राज भाषा बनाना तय किया है उस को आप संविधान के अनुसार स्थान दें और मैंने पहले कहा कि यह हमारी देश-भक्ति और स्वाभिमान का तकाजा है, मांग है कि हम राज भाषा को कम से कम अगर क्रियात्मक रूप न दे सकें तो उसे कागज़ पर तो लिख ही दें। मैं समझता हूं कि अधिकांश लोग हिन्दी भाषा के बारे में ही बोलते रहे हैं । अगर वह इस विधेयक को सही रूप में पढ़ लेते तो उनको अधिक कष्ट करने का मौका नहीं रहता। इस में मैंने लिखा है कि उच्चतम न्यायालय में तथा प्रत्येक न्यायालय में सभी कार्य-वाही अंग्रेजी भाषा में हो रही है। मैंने संशोधन इसमें दिया है कि संघ की राजभाषा अर्थात् देवनागरी लिपि में हिन्दी में हो सकेंगी । या लिखा है, मैं ने आप्शन दिया है। अंग्रेजी भाषा के ऊपर हिन्दी थोपने की बात नहीं की । यह उन की इच्छा पर है। कम से कम यह मौका तो उन को दे दीजिए इस लिये 'या' लिख दिया है। यह अनिवार्य नहीं है कि अंग्रेजी वहां से हटाई जाय। मैं ने अंग्रेजी को हटाने के लिये कुछ नहीं कहा। मैंने कहा कि कम से कम कागज पर तो लिख दो ताकि जजों को भी प्रोत्साहन मिले कि हम सरकार की नीति के अनुसार निर्णय दे रहे हैं। अभी मेहता जी ने कहा और उनको याद होगा कि मैंने जब अपना विधेयक पेश किया था तो उनको उन के प्रत्यनों के लिये धन्यवाद दिया था। उसी लाइन में यह विधेयक है कि आप जिस तरह से मंत्रालयों में और संसद् में प्रयत्न कर रहे हैं उसी प्रकार से न्यायालयों में भी हिन्दी को प्रवेश दिलाने की चेष्टा करें। यह हिन्दी को उन के ऊपर लादने की बात नहीं है।

कुछ भाइयों ने यह कहा कि हिन्दी अभी अपूर्ण है। ठीक नहीं है। यह बहुत स्टैंडर्ड नहीं है। पांडे जी बोल रहे थे। मेरा ज्ञान है कि वे बड़े विद्वान हैं। मानकीकरण हिन्दी का हो गया है। पांडे जी को परिचय होगा कि पूरा अनुवाद संविधान का हिन्दी में हो गया है। जितने विधेयक संसद् में आते हैं उनका अनुवाद हम को हिन्दी में साथ-साथ मिलता है। इसके मायने यह हैं कि गवर्नमैंट ने हिन्दी का कुछ स्टैंडर्ड बना लिया है और उस के आधार पर ही यह सब कुछ हो रहा है। सरकार का एक विभाग है जो इस दिशा में लगा हुआ है और यह सब चल रहा है। मैं एक राजनीतिक नेता का नाम भूल गया हूं। वह आप के साथियों में भी रहे हैं उन्होंने भी हिन्दी के मानकीकरण के लिये कुछ एक ग्रंथ तैयार किया था जिस में प्रधान मंत्री को पहलवा और आडिटर को पड़तालिया आदि बताया गया था मंत्रिमंडल को "विचबिन्दी खोली" बताया गया था।

मैं बता रहा हूं कि इस प्रकार की तैयारी हुई। अध्यक्ष जी, शाही जी ने मेरे इरादे पर शक किया। मैं सच कहता हूं इस भरे सदन में कहता हूं कि जब से इस सदन में या लोकसभा में आया हूं तब से मेरा

[श्री ओउम प्रकाश त्यागी]

भाषण और विचारों का आधार देशभक्ति का रहा है। इस देशभक्ति के आधार पर ही मैं सोचता हूं और बोलता हूं। मुझे किसी पार्टी का, या किसी और का भय नहीं है। जिस दिन मैं पार्टी के नाम पर दलगत नीति में फंस कर साम्प्रदायिक मानवता से यहां बोलूंगा उस दिन मैं अपनी मौत मानूंगा मैं इसको देशभक्ति की बात नहीं मानता हूं। इसलिये मेरे इरादे पर शक करना ठीक नहीं है। मैंने कहा है कि राजभाषा हिन्दी जल्दी आए। देश में कम से कम न्यायालयों में तो आए ही। मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि जिस को फांसी की सजा दी जा रही है अगर उसको अंग्रेजी में कहा जाएगा कि तुमको फांसी की सजा दी जा रही है है तो वह बेचारा क्या समझेगा। अगर उसको यह फैसला हिन्दी में सुना दिया जाए कि तुम को फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाएगा तो उसकी समझ में आ सकता है। कोर्ट किसी बेचारे देहाती को मौत की सजा सुनाएगा तो वह उसके अनुवाद के लिये इधर-उधर जाएगा। मेरा कहना है कि कम से कम फांसी तो हिन्दी में दीजिए। उसे अगर यह कह दिया जाएगा कि 'हैंग टू डैथ' तो वह देहाती बेचारा क्या समझेगा। इसलिये मेरा कहना है कि उसी भाषा में जिस भाषा को वह समझता है फैसला सुनाया जाए। ओउम् मेहता जी आपने यह कहा है कि न्यायालयों में हिन्दी में किस प्रकार से काम हो इसके लिये कमेटी बनाई गई है, मैं इसका स्वागत करता हूं। एक बात और कहकर बैठ जाना चाहता हूं और फिर जैसा आप कहेंगे वैसा करूंगा। एक बात यह जानना चाहता हूं कि मेरा संशोधन स्वीकृत हो जाने के बाद वर्तमान ढांचे में क्या फर्क आने वाला है, कौन सी आफत उठने वाली है। अगर मेरा संशोधन मान लिया जाता है तो आपकी नीति और आपकी कार्य-प्रणाली में क्या अन्तर आने वाला है यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री ओम मेहता : यह जो संशोधन आपने रखा है वह कंस्टीट्यूशनल अमैन्डमैन्ट से नहीं पूरा होगा। पांडे जी ने भी कहा है कि पार्लियामैन्ट को अख्तियार है वह इस संबंध में एक बिल ला सकती है। उससे आपकी बात पूरी हो सकती है। इसमें कंस्टीट्यूशनल अमैन्डमैन्ट लाने की जरूरत नहीं है। आप जो संशोधन लाना चाहते हैं वह आफिशियल लैंग्वेज एक्ट में संशोधन लाकर हो सकता है।

उपसभाध्यक्ष (श्री लोकनाथ मिश्र) : आप वापस लेना चाहते हैं?

श्री ओउम प्रकाश त्यागी : हां जब मंत्री जी ने कहा है कि एक कमेटी बनाई गई है जो इस प्रश्न पर विचार कर रही है तो मैं अपना विधेयक वापस लेता हूं।

SHRI IRENGBAM TOMPOK SINGH : Tyagiji, you are fortunate to speak in Hindi all the time.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI LOK.ANATH MISRA): The question is:

"That leave be granted to the Mover to withdraw the Constitution (Amendment) Bill, 1972 [to amend article 348]. "

The motion was adopted.

The Constitution (Amendment) Bill, 1972 *[to amend article* 348] *was, by leave, withdrawn*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI LOKANATH MISRA) : Shri Anand Narain Mulla. He is not here.

The House stands adjourned till 11 '00 A.M. ou Monday.

The House then adjourned at twentyfive minutes past four of the clock till eleven of the clock on Monday, the 24th May, 1976.

270RSS/76—GJPF.